लोक प्राधिकारी–आबकारी आयुक्त उत्तरांचल
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
मैनुअल संख्या 1 : संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य

विधिक इतिहास

मादक वस्तुओं पर नियंत्रण तथा कराधान के इतिहास के उचित एवं गहन अध्ययन हेतु उसे निम्नलिखित चार भागों में विभाजित किया जा सकता है–

1. हिन्दू काल
2. मुस्लिम काल
3. अंग्रेजी काल
4. स्वतन्त्रता के बाद का काल

1. हिन्दू काल

वेदों में सुरा के साथ ऋषियों में सोमपान के प्रचलन का भी उल्लेख है जो एक पौधे की पत्तियों से काढ़े की तरह बना पेय था। यह 'सोम' पौधा 'हैम्प' पौधे से मिलता जुलता था, इस बिन्दु पर भारी मतभेद है, किन्तु इस बात के प्रचुर प्रमाण हैं कि प्राचीन भारत में सुरा के अतिरिक्त अन्य मादक वस्तुओं का प्रयोग था।

मनुस्मृति–मनुस्मृति हिन्दू विधि का सर्वोच्च प्राचीन प्रामाणिक ग्रन्थ है इसके अध्याय 9 के श्लोक 225 तथा 226 में कहा गया है कि राजा मदिरा बनाने वालों को नगर से निकाल दे। इसके अध्याय 11 के श्लोक 93–94 में ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों के लिए सुरापान का निषेध है। इसके अध्याय 9 के श्लोक 237 में मद्यपि के मस्तक पर मधुपान का चिन्ह लोहा तपाकर अंकित करने के दण्ड का उल्लेख है। याज्ञवल्क स्मृति में भी सुरापान के लिए कठोर दण्ड का प्राविधान है।

कौटिल्य अर्थशास्त्र–कौटिल्य के अर्थशास्त्र के प्रकरण 41 अध्याय 25 में **सुराध्यक्ष** शीर्ष के अन्तर्गत कहा गया है कि आबकारी विभाग के अध्यक्ष (सुराध्यक्ष) का कर्तव्य सुरा के व्यापार का प्रबन्ध करना है। शराब के विक्रय के स्थान की व्यवस्था तथा अन्य आबकारी नियमों का भी उल्लेख है। विवाह आदि में सुराध्यक्ष की अनुमति से मदिरा के निर्माण का प्राविधान है। बिना अनुमति के मदिरा बनाने पर यथोचित दण्ड दिया जाता और टैक्स लिया जाता।

मनुस्मृति के अध्याय टप्प में राजस्व के विभिन्न स्रोतों का उल्लेख है किन्तु उनमें मादक वस्तुओं से राजस्व प्राप्त करना सम्मिलित नहीं है। अन्य स्मृतियों में भी ऐसी कोई बात नहीं है कि इस काल में मादक वस्तुओं पर कर लगाने की परंपरा रही हो। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शराब पर टैक्स लिये जाने की बात कही गयी है, किन्तु न तो उससे पूर्व और न बाद में मादक वस्तुओं पर कर लेने की प्रणाली विकसित ही हुई।

2. मुस्लिम काल

मुस्लिम काल में पेय मदिरा पर शुल्क लगाने का प्रयास किया गया था किन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि किस सीमा तक मादक वस्तुओं को राज्य के सीधे नियंत्रण में लाया गया। औरंगजेब के समय में राजस्व का संग्रह सर्वोच्च बिन्दु पर पहुंच गया था। कैट्रन के हिस्टोरिक जनरलेएम्पायर मुगल में औरगंजेब के समय के विभिन्न प्रान्तों के राजस्व के स्रोतों का उल्लेख है किन्तु इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, जिससे विदित हो कि मादक वस्तुओं पर कोई कर लगाया जाता रहा। इसके विपरीत औरंगजेब के अपने मित्रों तथा सम्बन्धियो को लिखे पत्रों के संग्रह की फारसी की किताब के अनुसार औरंगजेब के पौत्र ने ताड़ी पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया था। किन्तु औरंगजेब ने स्वीकार नहीं किया। बाद में मुस्लिम शासन के अन्तिम काल में देश के कुछ भाग में मदिरा के व्यवसाय पर किसी प्रकार का टैक्स लगाया गया। यह जमीदारों द्वारा तब शायद आबकारी शीर्ष के अन्तर्गत संग्रह किया जाता रहा, जब देश मुस्लिम शासन के हाथों से ईस्ट इंडिया कम्पनी के कब्जे में आया।

3. अंग्रेजी काल

I-1600 से 1772 तक

प्लासी (1757) और बक्सर (1764) की लडाईयां जीतने पर ईस्ट इण्डिया कम्पनी, जो 1600 में महारानी एलिजाबेथ के चार्टर के अन्तर्गत बनी थी और भारत में व्यापार हेतु आयी थीं, वस्तुतः बंगाल का शासक बन गई। 1765 में शाह आलम, जिसे कम्पनी ने मुगल सम्राट की गद्दी का सही दावेदार स्वीकार किया, ने कम्पनी की बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का प्रशासन दिया। इस कार्य को कम्पनी ने अपने सेवकों द्वारा 1772 तक किया।

II-1772 से 1856 तक

रेगूलेटिंग एक्ट 1773 के पारित होने पर, बंगाल की सरकार स्थापित हुई, जिसमें एक गवर्नर–जनरल तथा चार पार्षद थे और इसे बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी का कार्य भी मिला। इन प्रान्तों में कम्पनी के समय से शराब पर सायर जमीदारों के जरिये वसूल किया जा रहा था, उसे सरकार ने 19 अप्रैल, 1790 की सामान्य विज्ञप्ति द्वारा स्वयं अपने सीधे नियंत्रण तथा प्रबन्ध में ले लिया क्योंकि निम्न वर्ग के लोगों में मद्यपान की बुराई बड़ी तेजी से बढ़ रही थी और आदेश दिया कि शराब भविष्य में बिना कलेक्टर से लाईसेंस लिये नहीं बेची जायेगी और सिवाय गवर्नमेन्ट, के किसी के द्वारा शराब पर टैक्स वसूल नहीं किया जायेगा। इसेक बाद 14 जनवरी 1971 का आबकारी रेगूलेशन (जिसे ब्रिटिश इण्डिया का प्रथम आबकारी रेगूलेशन कहा गया है) आया, जिसका मुख्य प्राविधान था कि डिस्टलरियों तथा शराब के विक्रेताओं को प्रदान किये लाईसेंसों पर टैक्स लिया जायेगा तथा टैक्स की दरें स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार नियमित की जायेंगी। शराब के निर्माण तथा विक्रय के लाईसेंसों पर कलेक्टरों द्वारा निर्धारित दरों पर दैनिक टैक्स लगाया गया।

रेगूलेशन नं0 XXXIV, 1993 द्वारा ताड़ी, भांग, चरस तथा अन्य मादक भेषजों पर टैक्स लगाया गया और उनके निर्माण तथा विकय हेतु लाईसेंस आवश्यक कर दिया गया।

गांजा तथा अन्य मादक भेषजों पर ड्यूटी रेगूलेशन टप्ए 1800– द्वारा गांजा तथा अन्य मादक भेषजों के विक्रय पर उनकी शक्ति और गुण के अनुसार दैनिक शुल्क (ड्यूटी) लगाई गयी। रेगूलेशन ए , 1802 द्वारा योरोपीयन ढंग से बनाई जाने वाली स्प्रिट के प्रत्येक स्टिल पर ड्यूटी लगाई गई।

रेगूलेशन X, 1813– द्वारा प्राविधान किया गया कि प्रत्येक नगर या कस्बे, जहां कलेक्टर या सहायक कलेक्टर नियुक्त हैं, वहां जमीन का एक स्थान घेर लिया जायेगा और उसे सदर डिस्टलरी कहा जायेगा जिसके भीतर शराब के विकेताओं द्वारा शराब बनाई जायेगी। सदर डिस्टलरी के क्षेत्र के चार कोस के भीतर कोई कच्ची भट्टी नहीं चलाई जायेगी। ब्रिटिश इण्डिया के शेष क्षेत्रों में कच्ची भट्टी प्रणाली लागू थी। सदर डिस्टलरियों में उत्पादित शराब पर बोर्ड आफ रेवेन्यू द्वारा निर्धारित दर पर ड्यूटी लगायी जाती थी।

रेगूलेशन VI, 1824– प्रथम बार योरोपीयन प्रणाली के अन्तर्गत चलाई जाने वाली डिस्टलरियों में उत्पादित स्प्रिट पर **स्टिल हैड ड्यूटी** लिये जाने का उल्लेख करता है। इसमें योरोप, अमेरिका या अन्य देशों में बनी स्प्रिट के विक्रय पर **रिटेल डयूटी लेने** का भी उल्लेख है।

(iii) 1857 से 1904 तक

1857 की प्रथम स्वतंत्रता की लड़ाई ईस्ट इण्डिया कम्पनी का अन्त ला दी। गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया एक्ट, 1858 के प्रभावी होने पर, ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश साम्राज्ञी का स्वामित्व हो गया।

1861 में सदर डिस्टलरी प्रणाली अवध के चीफ कमिश्नर के सूबे तथा अगले वर्ष आगरा के उत्तरीय प्रदेश में लागू कर दी गयी। आगे चलकर उत्तरीय प्रदेशों तथा अवध से मिलकर आगरा अवध का संयुक्त प्रान्त बना।

सदर डिस्टलरी प्रणाली के विषय में–1862–63 की रेवेन्यू रिपोर्ट में कहा गया है कि यह प्रणाली किसी को भी, जो निर्माण करना चाहता है, प्रति गैलन **स्टिल हैड** पर ड्यूटी लगाकर निर्माण करने की अनुमति देती है और इस प्रकार बिना विक्रय से कोई मतलब रखे सरकार को शराब के न्यूनतम मूल्य निश्चित करने में सहायता करती है।

जैसा पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है **स्टिल हैड ड्यूटी** शब्दों का प्रयोग पहले पहल 1924 के रेगूलेशन में किया गया है।

1802 के रेगूलेशन, जिसमें योरोपीयन डिस्टलरियों में उत्पादित स्प्रिट पर ड्यूटी आरोपित करने का प्राविधान है तथा 1813 के रेगूलेशन जिसमें सदर डिस्टलरियों में देशी तरीके से उत्पादित स्प्रिट पर ड्यूटी

लेने का प्राविधान है, से स्पष्ट है कि स्टिल हैड ड्यूटी शराब के उत्पादन पर लगायी जाने वाली ड्यूटी है। चूंकि यह ड्यूटी स्टिल हैड पर (यानी जैसे ही शराब बन जाती है) लगायी जाती इसे स्टिल हैड ड्यूटी कहा गया है और यह ड्यूटी और कुछ नहीं है सिवाय उसके जिसे बाद के वर्षों में एक्साइज ड्यूटी कहा गया है। एक्साइज ड्यूटी शब्दों का प्रयोग एक्साइज (स्प्रिट) एक्ट 1863 में किया गया है।

हाईड्रोमीटर का प्रयोग– पहले ड्यूटी बिना शराब की ताकत निश्चित किये लगायी जाती रही किन्तु 1868–69 में सभी जिलों में हाइड्रोमीटर सप्लाई किये गये और ड्यूटी ताकत को निश्चित कर लगाये जाने लगी। विभिन्न सूबों में विभिन्न एक्साइज एक्ट लागू हुए।

एक्साइज एक्ट 1871 गवर्नर जनरल द्वारा पारित हुआ और यह उत्तर पश्चिमी सूबे, अवध के सूबे, पंजाब, सेन्ट्रल प्राविंसेज, ब्रिटिश वर्मा तथा कुर्ग में प्रभावी हुआ। इस अधिनियम द्वारा शराब तथा मादक भेषजों, जिसमें अफीम सम्मिलित नहीं थी, की एक्साइज ड्यूटी, लाईसेंस फीस एवं परिवहन, कब्जे में रखना, विक्रय, आयात, निर्यात शासित हुए। फुटकर लाईसेंसों को तय करने के लिए 1878 में नीलाम प्रणाली लागू हुई। ओपियम एक्ट 1878 प्रभावी हुआ। तदनन्तर एक्साइज एक्ट, 1871 की जगह एक्साइज एक्ट 1881 प्रभावी हुआ उसके स्थान पर एक्साइज एक्ट ग्प्प , 1896 प्रभावी हुआ। 'यह एक्ट यूनाइटेड प्राविंसेज लौज एमेण्डमेन्ट एक्ट, 1906 द्वारा संशोधित हुआ। समस्त भारत में शराब चाहे वह पीने योग्य हो या नहीं, पर एक्साइज ड्यूटी ली जाती रही।

बीयर पर एक्साइज ड्यूटी आरोपित करने के लिए एक्साइज माल्ट लिकर एक्ट, 1890 प्रभावी हुआ।

1896 तक सदर डिस्टलरी प्रणाली समाप्तप्राय हो गयी। स्थानीय डिस्टलरियों को आपूर्ति का सन्तोषजनक साधन बनाने के लिए उनमें सुधार की नीति अपनाई गयी। स्थानीय डिस्टलरियों ने अपनी बिल्डिंग बना ली और अंग्रेजी पैटर्न के प्लांट लगा लिये। साथ ही साथ बंधित गोदामों की स्थापना हुई, जहां से स्प्रिट की आपूर्ति होने लगी। सिवाय कुछ भाग को छोड़कर जहां कच्ची भट्टी प्रणाली लागू रही, पूरे उत्तर पश्चिम सूबे तथा अवध के सूबे में डिस्टलरी प्रणाली लागू हो गयी।

यूनाइटेड प्राविंसेस (डेजिग्नेशन) एक्ट 1902 द्वारा–चीफ कमिश्नर अवध, द्वारा प्रशासित राज्य क्षेत्र तथा लेफ्टीनेण्ट गवर्नर जनरल द्वारा प्रशासित उत्तर पश्चिमी सूबे को मिलाकर संयुक्त प्रान्त आगरा तथा अवध नाम दे दिया गया।

(iv) 1904 से 1920 तक

1905 की आबकारी नीति–भारत सरकार ने अपने प्रस्ताव संख्या 5001– एक्साइज दिनांक 7 सितम्बर, 1905 द्वारा सूबे की सरकार के लिए आबकारी नीति निर्धारित की जिसे संक्षेप में न्यूनतम उपभोग के साथ–साथ अधिकतम राजस्व की नीति कहा गया है।

इण्डियन एक्साइज कमेटी, 1905– उपरोक्त 7 सितम्बर,1905 के प्रस्ताव द्वारा भारत सरकार ने एक समिति गठित की, जिसे इण्डियन एक्साइज कमेटी, 1905 कहा गया है और उससे अपेक्षा की कि वह

प्रत्येक सूबे के आबकारी प्रशासन का इस दृष्टि से परीक्षण करे कि सामान्य नीति जो निर्धारित की गयी है वो पूर्णतम व्यावहारिक कार्यान्वयन करने में किस सीमा तक समर्थ है और स्थानीय सरकारों से परामर्श कर ऐसे सुझाव, जो स्थानीय परिस्थितियों में वांछनीय हो और अन्यत्र जो सफल पाये गये हों के प्रकाश में, दें। इस समिति ने जो सामान्य तथा सूबे विशेष के लिए सिफारिशें की उनका सारांश इसकी रिपोर्ट के अध्याय २८ में दिया गया है। समिति को यह भी आदेश दिया गया कि वह इस बात पर विचार करे कि नार्दन इण्डिया एक्साइज एक्ट (एक्ट 12, 1896) की जो कमियां नोटिस में आयी है, को देखते हुए इस एक्ट को निरस्त कर नया एक्ट अधिनियमित करना आवश्यक है और मुख्य परम्परायें इंगित करे जिस पर नया विधान आवश्यक है। समिति ने 1896 के एक्ट में संशोधन करने हेतु सुझाव दिये और मद्रास तथा बम्बई को छोड़कर सारे भारत के लिए एक कानून की सिफारिश की, जिसके लिए एक ड्राफ्ट एक्साइल बिल दिया और यह आशा व्यक्त की आगे मद्रास और बम्बई भ्ज्ञी इसे अपना लेंगे। भारत सरकार ने समिति की सिफारिशें मानकर यह निर्णय लिया कि समस्त भारत के लिए एक सामान्य एक्साइज एक्ट बनाने के स्थान पर प्रत्येक सूबा अपने लिए विधान बनाये।

1908 में सेंट्रल डिस्टलरी सिस्टम का स्थान कांट्रेक्ट सप्लाई सिस्टम ने लिया। कांट्रेक्ट सप्लाई सिस्टम के अन्तर्गत किसी विशेष क्षेत्र में बंधित गोदामों से देशी शराब या भेषजों की आपूर्ति एक संविदाकार को दी जाती है, जिसका चयन सप्लाई के रेट्स के टेन्डर मांग कर किया जाता है।

इण्डियन एक्साइज कमेटी, 1905 के ड्राफ्ट एक्साइज बिल के आधार पर यूनाइटेड प्राविसेस एक्साइज बिल 1909 तैयार किया गया जिसकी स्वीकृति लेफ्टीनेण्ट गवर्नर ने 18.12.1909 को दी तथा इण्डियन कौंसिल एक्ट, 1861 की धारा 45 के अन्तर्गत गवर्नर जनरल की आवश्यक स्वीकृति 24.2.1990 को प्राप्त हुई। तदनन्तर यह राजपत्र में 12 जून 1910 में प्रकाशित होने पर प्रभावी हुआ।

यू0पी0 एक्साइज एक्ट 1910 के पूर्व डिनेचर्ड स्प्रिट पर एक्साइज ड्यूटी ली जाती रही। यू0पी0 एक्साइज एक्ट, 1910 के अधिनियमित होने पर भी डिनेचर्ड स्प्रिट पर ड्यूटी लगाना जारी रहा। सूबे की सरकार ने डिनेचर्ड स्प्रिट पर मूल्येन साढ़े सात प्रतिशत की दर पर ड्यूटी लगायी। डिनेचर्ड स्प्रिट पर एक्साइज ड्यूटी लेना यू0पी0 गवर्नमेंट ने विज्ञप्ति संख्या:202/तेरह दिनांक मार्च 6, 1917 द्वारा बन्द कर दिया।

जब यू0पी0 एक्साइज एक्ट, 1910 पारित किया गया था तब केन्द्र तथा सूबों के बीच विधायी शक्ति का सीमांकित विभाजन नहीं था। प्रथम बार गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट 1919, द्वारा कतिपय विषय निर्वाचित मंत्रियों के नियंत्रण में रखे गये और सूबों को केन्द्र से अर्ध स्वतंत्रता, उन्हें कुछ राजस्व के स्रोत तथा पृथक विधायी क्षेत्र आबंटित कर, प्रदान की गयी। 1919 के एक्ट की धारा 45 ए तथा 129 के अधीन, गवर्नर जनरल इनकोसिल ने सेक्रेटरी आफस्टेट इन कौंसिल की स्वीकृति से डिवील्यूशन, रूल्स, 1920

प्रख्यापित किये, जो उत्तर प्रदेश एक्ट दिनांक दिसम्बर 25, 1920 में पृष्ठ 2017–2031 पर प्रकाशित हुए। इस नियमावली की प्रविष्टि 16 निम्नानुसार है–

"16 एक्साइज, अर्थात अलकोहल युक्त शराब तथा मादक भेषजों का उत्पादन, निर्माण, कब्जे में रखना, परिवहन, क्रय एवं विक्रय तथा ऐसे पदार्थों पर और उनके सम्बन्ध में एक्साइज ड्यूटीज तथा लाईसेंस फीस का आरोपण किन्तु अफीन के मामले में कृषि, निर्माण तथा निर्यात के लिए विक्रय को छोड़ कर"।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि सभी ऐल्कोहली लिकर चाहे वह मानव उपभोग के लिए ही हो या न हो, पर एक्साइज ड्यूटीज तथा लाईसेंस फीस का आरोपण तथा नियंत्रण के विषय सूबे की सरकार की को अन्तरित कर दिये गये। जहां तक मादक भेषजों का सम्बन्ध है, केवल अफीम की कृषि, निर्माण तथा निर्यात के लिए विकय केन्द्रीय सरकार पर रहा किन्तु इसको छोड़कर सभी मादक भेषजों की एक्साइज ड्यूटीज तथा लाईसेंस फीस एवं उनेक निर्माण, परिवहन आदि पर नियंत्रण सूबे की सरकार को अन्तरित कर दिये गये।

उपरोक्त प्रविष्टि में शब्द अन्तरराज्यीय आयात या निर्यात जो संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 की उद्देशिका में है, नहीं है। सीमा शुल्क सरहद को पारकर आयात तथा निर्यात का विषय भी सूबे की सरकार को अन्तरित नहीं किया गया।

(V) 1921 से 1949 तक

मूल यू0पी0 एक्साइज एक्ट, 1910 में मादक भेषजों की धारा 3(1) में दी परिभाषा में (1) गांजा, (2) भांग और (3) चरस, कोकीन तथा नोवाकीन तथा इन पदार्थों से बनी निर्मितियां सम्मिलित थी। डेंजरस (अनिष्टकर) ड्रग्स (भेषज) एक्ट (अधिनियम), 1930 (इम्पीरियल एक्ट प्, 1930) के प्रभावी होने पर **मादक भेषज** शब्द की परिभाषा संकुचित हो गयी और उसमें गांजा, भांग और चरस और उनसे बनी निर्मित ही सम्मिलित रह गयी।

जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है कि संयुक्त प्रान्त की सूबे की सरकार ने 1917 में डिनेचर्ड स्प्रिट पर एक्साइज ड्यूटी को समाप्त कर दिया किन्तु जनवरी 1937 की विज्ञप्ति द्वारा डिस्टलरियों से डिनेचर्ड स्प्रिट की निकासी पर बैडफीस लगा दी।

गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया एक्ट 1935–ने संविधान को विशुद्ध ऐकिक से परिसंघीय प्राय संविधान में परिवर्तित कर दिया। यह 1 अप्रैल 1937 से प्रभावी हुआ। भारत का परिसंघ जिसमें सूबे, भारतीय रियासतें जो इसमें सम्मिलित हुई तथा चीफ कमिश्नरों के सूबे सम्मिलित थे, घोषित हुआ ब्रिटिश साम्राज्ञी की ओर से परिसंघ का प्रशासनिक अधिकार गवर्नर जनरल द्वारा प्रयोग किया गया, जिसने सेकेटरी आफ स्टेट के पर्यवेक्षण के अधीन कार्य किया। परिसंघीय विधान मंडल में गवर्नर जनरल तथा दो सदन, जो कमशः राज्य सभा तथ्ज्ञा लोक सभा कहे गये थे। गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया एक्ट ने अपनी विधायी शक्तियों को केन्द्र तथा

सूबों में इस एक्ट की सातवीं अनुसूची में दी गयी तीन सूचियों अर्थात सूची 1–संघ सूची, सूची 2–राज्य सूची तथा सूची 3–समवर्ती सूची में विभाजित कर दिया था। गवर्मेंट आफ इण्डिया एक्ट, 1935 की विधायी योजना के अनुसार, विनियमित करने वाली शक्तियों को कर आरोपित करने वाली शक्तियों से पृथक कर दिया गया था जिसके लिए सूची–2 (राज्य सूची) की प्रविष्टियां 31 तथा 40 को उद्घृत किया जाता है–

"31. मादक लिकर तथा स्वापक भेषज, अर्थात मादक लिकर, अफीम तथा अन्य स्वापक भेषजों का, उत्पादन, निर्माण, कब्जे में रखना, परिवहन, क्रय तथा विक्रय किन्तु जहां तक अफीम का सम्बन्ध है, सूची–1 के अधीन तथा विष तथा भेषजों का सम्बन्ध है सूची–3 के प्रावधानों के अधीन।"

"40. सूबे में विनिर्मित या उत्पादित निम्नलिखित माल पर उत्पाद शुल्क और भारत में अन्यत्र विनिर्मित या उत्पादित वैसे ही माल पर उसी दर या निम्नतर दर से प्रतिशुल्क–

क– मानवीय उपभोग के लिए एलकोहली लिकर।

ख– अफीम, इण्डियन हैम्प और अन्य स्वापक औषधियां तथा स्वापक पदार्थ,

ग–ऐसी औषधियां निर्मितियां जिनमें एलकोहाल या इस प्रविष्टि के उप पैरा, ख का कोई पदार्थ अन्तर्विष्ट है।

सूची–1 (संघीय सूची) की प्रविष्टि 45 में भारत में विनिर्मित तम्बाकू और अन्य माल पर उत्पाद शुल्क सिवाय मानवीय उपभोग के लिए एलकोहाली लिकर तथा ऐसी औषधीय निर्मितियों के, जिनमें एलकाहल, अफीम, इण्डियन हैम्प तथा स्वापक औषधियां सम्मिलित हैं। इससे स्पष्ट है कि गवर्मेन्ट आफ इण्डिया एक्ट, 1935 के पूर्व सभी एलकोहली लिकर पर उत्पाद शुल्क सूबे की सरकार द्वारा लिया जा सकता था चाहे वह पेय हो या अपेय। किन्तु गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया एक्ट, 1935 के प्रभावी होने पर केवल मानवीय उपभोग के लिए एलकोहली लिकर तथा औषधीय निर्मितियां जिनमें एलकोहल अन्तर्विष्ट है, पर ही एक्साइज ड्यूटी (उत्पाद शुल्क) लिया जा सकता था।

गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया एक्ट,1935 की धारा 293 के अन्तर्गत विज्ञापित एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा यू0पी0 एक्साइज एक्ट 1910 के प्राविधानों में जो परिवर्तन हुए उनका यथास्थान उल्लेख किया गया है।

4–स्वतंत्रता के बाद का काल

भारतीय संविधान– जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान प्रभावी हुआ तब मादक द्रव्यों के नियंत्रण तथा किवियमन तथा उन पर एक्साइज ड्यूटीज से सम्बन्धित राज्य की विधायी शक्तियों में आगे परिवर्तन हुआ। भारतीय संविधान ने गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया एक्ट, 1935 की विधायी प्रविष्टियों को योजना का अनुसरण किया है। सातवीं अनुसूची की सूची–2 (राज्य सूची) में दो प्रविष्टियां संख्या 8 तथा 51 हैं, जिनमें से एक नियंत्रण तथा विनियमन के लिए और दूसरी एक्साइज ड्यूटीज (उत्पाद शुल्क) आरोपित करने के लिए है, जो निम्नवत् है–

8. "मादक लिकर, अर्थात मादक लिकर का उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, परिवहन, कय और विकय"।

"51. राज्य में विनिर्मित या उत्पादित निम्नलिखित माल पर उत्पाद शुल्क और भारत में अन्य विनिर्मित या उत्पादित वैसे ही माल पर उसी दर या निम्न दर से प्रति शुल्क–

क– मानवीय उपभोग के लिए ऐल्कोहाली लिकर

ख– अफीम, इण्डियन हैम्प और अन्य स्वापक औषधियां तथा स्वापक पदार्थ

. किन्तु जिसके अन्तर्गत ऐसी औषधियां और प्रसाधन विनिर्मितियां हैं, नहीं जिनमें ऐल्कोहल या इस प्रविष्टि के उपपैरा–ख का कोई पदार्थ अन्तर्विष्ट है।"

अनुसूची–VII की सूची–1 (संघीय सूची) की प्रविष्टि 84 को भी नीचे दिया जाता है–

84. भारत में विनिर्मित या उत्पादित तम्बाकू और अन्य माल पर उत्पाद शुल्क जिसके अन्तर्गतः–

क– मानवीय उपभोग के लिए एल्कोहली लिकर,

ख– अफीम, इण्डियन हैम्प तथा अन्य स्वापक औषधियां तथा स्वापक पदार्थ नहीं है, किन्तु ऐसी औषधीय प्रीय और प्रसाधन निर्मितियां है, जिसमें एल्कोहाल या इस प्रविष्टि के उप पैरा–ख का कोई पदार्थ अन्तर्विष्ट है।

उपरोक्त प्रविष्टियों से स्पष्ट है कि राज्य विधान मण्डल केवल मानवीय उपभोग के लिए अलकोहली लिकर पर एक्साइज डयूटीज न लगाने हेतु कानून बना सकती है। अलकोहाली लिकर जो मानवीय उपभोग के लिए नहीं है उसके विषय में पार्लियामेंट कानून बना सकती है जिसके सम्बन्ध में स्थिति वैसी ही रही, जैसी गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया एक्ट 1750 के अन्तर्गत थी। गर्वमेन्ट आफ इण्डिया एक्ट 1735 के अन्तर्गत औषधीय निर्मितियों जिनमें एल्कोहाल अन्तर्विष्ट है, पर राज्य एक्साइज ड्यूटी ले सकती थी किन्तु संविधान के प्रभावी होने पर औषधीय तथा प्रसाधन निर्मितियां जिनमें एल्कोहाल अफीम, इण्डियन हैम्प और अन्य स्वापक औषधीय अन्तर्विष्ट हो, पर एक्साइज ड्यूटी लेने का विषय राज्य से ले लिया गया और इसे केन्द्र को दे दिया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि संविधान की धारा–277 के प्राविधानों के अनुसार औषधियों तथा प्रसाधन निर्मितियां जिनमें अलकोहल तथा अफीम, इण्डियन हैम्प तथा अन्य स्वापक अन्तर्विष्ट थी, पर एक्साइज ड्यूटीज राज्य द्वारा उदगृहीत की जाती रही जब तक संसद द्वारा विधि द्वारा उपबन्ध नहीं कर लिया। पार्लियामेन्ट ने औषधीय और प्रसाधान निर्मितियां (उत्पाद शुल्क) इसकी अनुसूची में दी गयी दरों पर संग्रह करने के लिए अधिकृत कर दिया है।

सूची दो की प्रविष्टि 8 में अभिव्यक्ति "मादक (इन्टोक्जी के रिंग)" लिंकर का निर्वाचन बलसारा केस में बम्बई उच्च न्यायालय ने किया थ कि इस तात्पर्य लिकर जो जैसा है वैसा ही मानव उपभोग के योग्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने उस केस में अपील होने पर उसके विपरीत मत व्यक्त किया था। इसी मत के आधार पर सिंथेटिक्स एण्ड केमीकल्स लिमिटेड के केस (1980(2 सुप्रीम कोर्ट केसेज 441) के निर्णय में

डिनेचर्ड स्प्रिट पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगायी गयी बैड फीस विधिमान्य कही गयी थी। उपरोक्त मत पर उच्चतम न्यायालय की सात न्यायाधीशों की अधिसंख्यक खण्डपीठ ने पुनः विचार किया। जब 1951 में सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त मत व्यक्त किया था तब औद्योगिक अलकोहल के पूर्ण उपभोग के विषय में जागरूकता नहीं थी। नये अनुभव तथा विकास के प्रकाश में सिंथेटिक एण्ड कैमीकल्स लि0 बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ए0आई0आर0 1990 सुप्रीम कोर्ट 1927 में यह मत व्यक्त किया गया कि उपर्युक्त प्रविष्टि 8 में मादक लिकर का तात्पर्य मानव द्वारा उपभोग योग्य लिकर होना चाहिए और बलसारा के केस में बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त मत सही है। इसलिए राज्य औद्योगिक अलकोहल पर टैक्स को लगाया नहीं दे सकती। समस्त एक्साइज ड्यूटीज सिवाय उन मदों के जो सूची–1 की प्रविष्टि 84 में विनिर्दिष्टतया अपवादित है, केन्द्रीय विधान मण्डल की कर लगाने वाली शक्ति के अन्तर्गत आती है। राज्य विधान मण्डल को जो शक्ति स्रोत प्राप्त है वह सूची–2 की प्रविष्टि 51 के अन्तर्गत परिसीमित है।

औद्योगिक अल्कोहल के क्षेत्र में कर लगाने का प्राविधान नहीं है। राज्य औद्योगिक एलकोहल पर टैक्स लगाने के लिए अधिकृत नहीं है। उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों के अधिनियम के प्राविधान जो औद्योगिक एल्कोहाल पर टैक्स या प्रभार लगाते हैं असंवैधानिक है। किन्तु औद्योगिक एलकोहाल पर उस फीस का लगाना प्रभावित नहीं होगा जहां ऐसी परिस्थितियां हैं जो स्थापित करती है कि फीस जो लगायी जानी है, के लिए तत्प्रतित (क्विड प्रोको) है।

अफीम, इण्डियन हैंप और अन्य स्वापक औषधियों तथा स्वापक पदार्थों पर उत्पाद शुल्क लेने के लिए राज्यों की अनुसूची टप्प की सूची–2 की प्रविष्टि 51 द्वारा अधिकृत किया गया है। मादक द्रव्यों के विनियमन तथा नियंत्रण के सम्बन्ध में सूची 3 (समवर्ती सूची) की प्रविष्टि 19 सुसंगत है, जो निम्नवत् है–

19. अफीम के संबंध में सूची–1 की प्रविष्टि 59 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए मादक द्रव्य और विष।'

प्रविष्टि 19 में दी गयी मदों पर राज्य विधान मंडल तथा संसद दोनों ही कानून बना सकते हैं। स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 संसद द्वारा स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों से संबंधित संक्रियाओं के नियंत्रण और विनियमन के लिए अधिनियमित किया गया है। इस अधिनियम में स्वापक औषधि से कोका की पत्ती, कैनेबिस (हैम्प), अफीम, पोस्ततृण तथा सभी विनिर्मित औषधियां हैं। कैनेबिस (हैम्प) से अभिप्रेत है चरस, गांजा तथा प्राविधान यू0पी0 एक्साइज एक्ट के प्राविधानों से कठोरतर है। अतएव उक्त अधिनियम की धारा 81 के अनुसार चरस और गांजा के विषय में स्वापक औषधि और मनःप्रभावी अधिनियम, 1985 लागू है और यू0पी0 एक्साइज एक्ट 1910 के प्राविधान गांजा और चरस से सम्बन्धित संक्रियाओं के नियंत्रण और विनियमन के लिए लागू नहीं है।

(स्रोत–मनुस्मृति कौटिल्य अर्थशास्त्र, श्री शशि शेखर राय का 18 अगस्त, 1894 का इण्डियन हैम्प ड्रग्स कमीशन की रिपोर्ट 1893–94 में लेख, ब्रिटिश काल के विविध रेगूलेशन तथा एक्ट, इण्डियन एक्साइज कमिटी रिपोर्ट, 1905, गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया एक्ट, 1935 तथा संविधान आदि)

9. अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के सही तात्पर्य तक पहुंचने हेतु कानूनी निर्वचन के सिद्धान्तों सुविज्ञ होना आवश्यक है। कानूनी निर्वचन के सिद्धान्तों को दिया जा रहा है–

1. सामान्य सिद्धान्त

2. निर्वचन के मौलिम नियक

क– विधान मंडल के आशय की अभिव्यक्ति करना।

ख– अक्षरशः अर्थान्वयन

ग– उदार या कठोर अर्थान्वयन

घ– सान्दर्भिक अर्थन्वयन

ड.– रिष्टि का नियम

च– कल्याणकारी अर्थान्वयन

छ– साम्यापूर्ण अर्थान्चयन

ज. सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन

3. निर्वचन के सहायक नियम

क– विषमता, अर्थहीनता, कठिनाई, व्यतिरिक्तता तथा विरोध।

ख– लोप के कारण का सिद्वान्त।

ग– विवक्षित तौर पर अर्थान्चयन।

घ– तत्कालीन व्यवस्था।

ड.– एक ही प्रकृति की अभिव्यक्ति।

च. विशिष्ट उपबन्ध सामान्य से प्रबल।

छ–विवक्षित निसरन का सिद्वान्त।

ज– विधिक कल्पना।

झ– आज्ञापक या निदेशात्मक।

ट– संयोजक या वियोजक।

4. आन्तरित सहायतायें

क– सामान्य।

ख– शीर्षक या उपशीर्षक।

ग– परिभाषा खण्ड।

घ– स्पष्टीकरण।

ड.– पार्श्व टिप्पणी/धारा के शीर्ष

च– सर्वोपरि खण्ड।

छ– उद्देशिका।

ज– परन्तुक।

5. बाह्य सहायतायें--

क– विधायी इतिहास।

ख– शब्दकोष के अर्थ।

ग–विदेशी निर्णय तथा पाठ्य पुस्तकें।

घ–अन्य कानून।

6. निर्वचन उपधारणायें।

7. भूतलक्षी प्रभाव।

8. विशेष कानून या उपबन्ध–

क– कराधान का कानून।

ख– दाण्डिक कानून।

After Creation of Uttaranchal

उत्तर प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम 2000 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य का पुर्नगठन करते हुए उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ। वित्तीय वर्ष 2000–01 में उत्तर प्रदेश के समय प्रचलित अधिनियम प्रभावी रहे। उत्तरांचल राज्य के गठन के पश्चात आबकारी विभाग का ढांचा मंत्री परिषद की बैठक में स्वीकृत किया गया जो शासनादेश दिनांक 14 फरवरी, 2001 से प्रभावी हुआ। वर्ष 2001–02 की आबकारी नीति मंत्री परिषद के अनुमोदन के पश्चात शासनादेश संख्या:1357 दिनांक 28 फरवरी 2001 के द्वारा घोषित कर अधिसूचित की गयी। आबकारी नीति निम्नवत् हैः–

अधिसूचना

सा0 प0 नि.–2002

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेंश अधिनियम संख्या–1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या–4 सन् 1910) की धारा 41 के अधीन शक्ति का प्रयोग के आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से देशी/विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर बिक्री को विनियमित करने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए निम्नलिखित नवीन आबकारी नीति उद्घोषित करते हैं–

यह गजट में उसके प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नवीन व्यवस्थाः–

1. मदिरा की दुकानों का व्यवस्थापन अभिकर एवं निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क प्रणाली के आधार पर किया जायेगा
2. मदिरा की दुकानों का अनुज्ञापन शुल्क वर्ष 2001–2002 में दुकान की वास्तविक बिक्री के आधार पर निर्धारित किया जायेगा और यह राशि देशी मदिरा के सम्बन्ध में न्यूनतम रू0 दो लाख एवं अधिकतम दस लाख रू0 तथा विदेशी मदिरा के सम्बन्ध में न्यूनतम रू0 एक लाख एवं अधिकतम रू0 दस लाख होगी।
3. चूंकि आबकारी राजस्व का मुख्य अंश उपभोग आधारित अभिकर होगा, अतः अभिकर व अनुज्ञापन शुल्क की दरों को इस प्रकार से निर्धारित किया जायेगा जिससे कि उपभोग के आधार पर आगामी वर्ष में अपेक्षित वृद्धि सुनिश्चित की जा सके।
4. मदिरा की दुकानों की संख्या में वर्ष 2001–2002 के दौरान कोई वृद्धि नहीं की जायेगी यथा आवश्यकता क्षेत्र विशेष के अन्तर्गत दुकानों के स्थान में यथा नियम परिवर्तन किया

जा सकेगा किन्तु पूर्व निषिद्ध स्थलों के साथ–साथ यात्रा मार्गों के मेन रोड पर मदिरा की कोई दुकान नहीं खोली जायेगी।

5. उत्तरांचल राज्य के निवासियों को मदिरा की दुकानों के आबंटन पर प्राथमिकता दी जायेगी।

6. आवेदक के चरित्र सत्यापन तथा दुकान संचालित करने की हैसियत के सम्बन्ध में कठोर जांच करायी जाने की प्रक्रिया नियत की जायेगी और दुकान का सबलेटिंग किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगी। सबलेटिंग की स्थिति पायी जाने पर अनुज्ञापन शुल्क जब्त करते हुए अनुज्ञापन निरस्त करने के कठोर नियम बनाये जायेंगे।

7. राज्य अन्तर्गत प्रतिवर्ष देशी मदिरा के लगभग सात करोड़ खाली पाउच जहां तहां फेंके जाने के कारण प्रदूषण बढ़ने के साथ–साथ पशु हानि की घटनायें भी हो रही है जिस पर नियंत्रण हेतु पॉली पाउच के प्रयोग को पूर्णतः निषिद्ध किया जाना अनिवार्य है, किन्तु बड़ी संख्या में कांच की बोतलों की एक साथ व्यवस्था न होने तथा प्रदेश की देशी मदिरा के गोदामों की सीमित बोतल भराई क्षमता को दृष्टि में रखते हुए पॉली पाउच का प्रयोग चरणबद्ध तरीके से ही बन्द किया जायेगा। ऐसी स्थिति में प्रथम चरण 1 अप्रैल, 2001 से 3 माह तक 50 प्रतिशत देशी मदिरा की निकासी पॉली पाउच में और 50 प्रतिशत देशी मदिरा की निकासी बोतलों में दी जायेगी। तदुपरान्त 1 जुलाई, 2001 से देशी मदिरा की समस्त निकासी बोतलों में ही दी जायेगी।

8. वर्तमान में 25 प्रतिशत वी/वी तीव्रता की सादा तथा 36 प्रतिशत वी/वी तीव्रता की मसालेदार देशी मदिरा बेची जा रही है जिसके स्थान पर 1 अप्रैल, 2001 से 32 प्रतिशत वी/वी तीव्रता वाली कन्ट्री रम देशी मदिरा की दुकानों से बेची जायेगी।

9. उत्तरांचल के जिन जनपदों में वर्तमान में परमिट की व्यवस्था है, वहां बाहर से आये पर्यटकों को बिना परमिट के भी विदेशी मदिरा बेची जा सकेगी।

10. अभिकर की चोरी तथा मदिरा की तस्करी को रोकने के लिए मदिरा की बोतलों पर आबकारी विभाग का नम्बर युक्त होलोग्राफिक स्टीकर लगाया जायेगा।

11. राज्य के बाहर की आसवनियों द्वारा इस राज्य में अपनी मदिरा के ब्राण्ड बेचने हेतु बी0डब्ल्यू0एफ0एल0–2 खोलने की व्यवस्था की गयी है, अतः इस निमित्त वार्षिक अनुज्ञापन शुल्क रू0 दस लाख रखा गया है। जबकि बीयर के लिए बी0डब्ल्यू0एफ0एल0–2बी अनुज्ञापन शुल्क पूर्ववत् रू0 पांच लाख, विदेशी मदिरा का अभिकर पूर्ववत् रू0 48/– प्रति

ए0एल0 तथा राज्य की आसवनियों को अपनी विदेशी मदिरा का ब्राण्ड बेचने हेतु लिये जाने वाले अनुज्ञापन एफ0एल0–1 का अनुज्ञापन शुल्क पूर्ववत् 2.5 लाख निर्धारित किया गया है किन्तु जनपद में थोक विदेशी मदिरा के अनुज्ञापन एफ0एल0–2 के अनुज्ञापन में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है।

12. वर्तमान व्यवस्था को दृष्टि में रखते हुए बार के अनुज्ञापन शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की गयी है।

13. सेना को मदिरा/बीयर की आपूर्ति सम्बन्धी वर्तमान व्यवस्था जारी रखी गयी है और इसमें कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाया गया है।

14. राज्य अन्तर्गत भांग की दुकान का व्यवस्थापन पूर्णतः बन्द कर दिया गया है और एतद्विषयक किसी दुकान के संचालन की अनुमति नहीं दी गयी है।

15. नवीन उपर्युक्त आबकारी नीति के कियान्वयन हेतु पृथक से नियमावली बनायी जा रही है।

वर्ष 2000–2001 की शीरा नीति

शासनादेश संख्याः630 / शी0नी0 / 2000–2001 / उतरांचल दिनांक जनवरी 12, 2001

1. चीनी मिलों द्वारा उत्पादित शीरे में से 90 प्रतिशत शीरे को बिकी हेतु नियंत्रण मुक्त रखा जाए तथा वर्तमान शीरा वर्ष में दिनांक 31 मार्च 2001 तक उत्पादित शीरे का 10 प्रतिशत देशी मदिरा की आपूर्ति के लिए आरक्षित रखा जाय।

2. शीरा वर्ष 2000–2001 में प्रत्येक चीनी मिल द्वारा उत्पादित शीरे के 10 प्रतिशत अंश को प्रदेश से बाहर निर्यात के लिए पूर्ण छूट रहेगी।

3. उत्तरांचल राज्य के अन्तर्गत स्थित चीनी मिलों के द्वारा उत्पादित शीरा उत्तरांचल तथा उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत स्थित शीरा आधारित रासायनिक उद्योगों द्वारा कय किये जाने पर रू0 5/– प्रति कुंट की दर से प्रशासनिक प्रभार देय होगा।

4. अन्य प्रदेशों के शीरा आधारित उद्योगों द्वारा कय किये जाने पर रू0 15/– प्रति कुंटल की दर से प्रशासनिक प्रभार देय होगा।

वर्ष 2002–03 की आबकारी नीति

संख्या:591 देहरादून, 24 अप्रैल,, 2002

सा0प0नि0–04

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1 सन् 1904) की धारा–21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या–4 सन् 1910) की धारा–41 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से देशी/विदेशी मदिरा एवं बियर की फुटकर बिक्री को विनियमित करने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2002–2003 के लिए निम्नलिखित नवीन आबकारी नीति उद्घोषित करते हैं–

यह दिनांक 01 मई, 2002 से प्रवृत्त होगी।

1.(क) उत्तरांचल की प्राकृतिक एवं नैसर्गिक सौन्दर्यता बनाये रखने, जनस्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में वर्ष, 2002–2003 के लिए देशी मदिरा की पाली पाऊचों में की जाने वाली बिक्री पूर्ण निषिद्ध कर दी जायेगी।

अवैध मदिरा के निर्माण एवं तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण रखा जायेगा। विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध मदिरा के निर्माण एवं बिक्री तथा तस्करी पर नियंत्रण के लिए सक्रिय प्रवर्तन की कार्यवाही की जायेंगी। इस कार्य में समाजसेवी महिला संगठनों तथा अन्य संगठनों को सहयोग दिया जायेगा और समय–समय पर उनके साथ बैठकें भी आयोजित की जायेंगी। अत्यधिक मदिरा–पान की लत छुड़ाने के लिए मद्यनिषेध आंदोलन (टेम्परेन्स मूवमेन्ट) को बढ़ावा दिया जायेगा।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित मदिरा की दुकानों की संख्या घटाने एवं क्षेत्र विशेष की आवश्यकतानुसार स्थानीय जन–मानस की भावनाओं को देखते हुए उनके स्थान पुनर्नियोजित किये जायेंगे। ग्रामीण क्षेत्र की अनपेक्षित दुकानों को बंद करने के बाद शेष मदिरा की दुकानों का व्यवस्थापन किया जायेगा। हरिद्वार व ऋषिकेश तीर्थ स्थानों में नगरपालिका क्षेत्र की सीमान्तर्गत, पीरान कलियर के 1.6 किमी क्षेत्र में, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमनोत्री धामों, पूर्णागिरी, रीठा साहब, हेमकुण्ड साहब तथा नानकमत्ता तीर्थस्थलों में मद्यनिषेद्य लागू होगा तथा इन क्षेत्रों में मदिरा की कोई दुकानों नहीं खोली जायेंगी।

(ग) धार्मिक स्थलों, शिक्षण संस्थाओं एवं चिकित्सालयों के समीप मदिरा की दुकानों का व्यवस्थापन नहीं किया जायेगा। यात्रा मार्ग के मुख्य मार्ग पर मदिरा की कोई नई दुकान नहीं खोली जायेगी।

(घ) प्रदेश के बाहर के राज्यों से होने वाली मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने हेतु राज्य की सीमाओं पर 13 चैकपोस्टें बनायी जायेंगी जहां पर आबकारी सिपाहियों के साथ–साथ भूतपूर्व सैनिकों की संविदा के आधार पर तैनाती की जायेगी।

(ङ) वर्तमान में अवैध मदिरा निर्माण एवं तस्करी आदि के मामलों में कठोर दण्ड की व्यवस्था नहीं है। इस हेतु आबकारी अधिनियम की सम्बन्धित धाराओं–60,63 एवं 68 में दण्ड के प्राविधान को कठोर करते हुए इन धाराओं से सम्बन्धित अपराधों में जुर्माने की न्यूनतम धनराशि 5000/– रु0 जुर्माना लगाये जाने की व्यवस्था बनाने हेतु सम्बन्धित एक्ट में संशोधन किया जायेगा।

इन प्राविधानों के प्रभावी कियान्वयन के लिए आबकारी विभाग को सशक्त बनाते हुए इसका पुनर्गठन किया जायेगा।

दुकानों के व्यवस्थापन हेतु वर्ष 2002–2003 के लिए राजस्व निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा–

(अ) वित्तीय वर्ष 2001–2002 की दुकानों की वास्तविक बिक्री के आधार पर जिला आबकारी अधिकारी की सलाह पर जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित जनपद की प्रत्येक दुकान का वर्ष 2002–2003 हेतु लाईसेंस फीस का निर्धारण किया जायेगा।

(ब) राजस्व के दुकानवार निर्धारण के आधार–

उपरोक्त बिन्दु (अ) के अनुसार दुकान की निर्धारित लाईसेंस फीस + वर्ष 2001–2002 की वास्तविक बिक्री के आधार पर न्यूनतम निर्धारित वार्षिक अभिकर।

इस प्रकार अंश 'ब' की गणना से प्राप्त दुकानवार राशि पर 12 प्रतिशत बढ़ोत्तरी का लक्ष्य जोड़ते हुए दुकान के वर्ष 2002–2003 के राजस्व की गणना की जायेगी। इस राशि में से अप्रैल 2002 में प्राप्त व्यवस्थापन राजस्व को घटाने के उपरान्त वर्ष 2002–2003 की शेष अवधि के लिए दुकान के कुल राजस्व की गणना की जायेगी। उपरोक्त गणना के अनुसार पूरे वर्ष हेतु प्राप्त लाईसेंस फीस की राशि में से 2002 में प्राप्त व्यवस्थापन राजस्व को घटाने के उपरान्त वर्ष 2002–2003 की शेष अवधि के लिए दुकान के कुल राजस्व की गणना की जायेगी। उपरोक्त गणना के अनुसार पूरे वर्ष हेतु प्राप्त लाईसेंस फीस की राशि में से अप्रैल, 2002 में प्राप्त लाईसेंस फीस की राशि को घटाकर आयी राशि को वर्ष 2002–2003 की शेष अवधि हेतु दुकान की लाईसेंस फीस माना जायेगा। शेष राशि को दुकान का न्यूनतम गारन्टीड वार्षिक अभिकर मानते हुए उसके प्रत्येक भाग के विपरीत आने वाले माहों में मदिरा की निकासी दी जायेगी। इस प्रकार

दुकानों के कुल व्यवस्थापन राजस्व (लाईसेंस फीस + अभिकर) में जनपदवार निर्धारित लक्ष्य की वृद्धि सुनिश्चित की जायेंगी।

(स) वर्ष 2002–2003 में मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन हेतु, यदि वर्तमान अनुज्ञापी (ऐसे व्यक्ति अथवा संस्थाएं जो 30.4.2002 को देशी/विदेशी मदिरा के अनुज्ञापी रहेंगे, वर्तमान अनुज्ञापी माने जायेंगे) वर्ष 2002–2003 की शेष अवधि के लिए उपरोक्तानुसार निर्धारित की गई लाईसेंस फीस एवं न्यूनतम निर्धारित गारन्टीड अभिकर की राशि पर उस दुकान विशेष को लेने को तैयार हो, तो दुकान को उसी/उन्हीं अनुज्ञापियों/संस्थाओं के नाम व्यवस्थापित कर दिया जायेगा।

(द) उक्त विकल्प के अनुसार व्यवस्थापन करने पर यदि कुछ दुकानें व्यवस्थापित होने से शेष रह जाती है तो इन दुकानों का व्यवस्थापन गढ़वाल व कुमाऊं मंडल विकास निगम अथवा भूतपूर्व सैनिकों की पंजीकृत को–ऑपरेटिव सोसाईटीड के पक्ष में निर्धारित राजस्व के आधार पर किया जायेगा।

मदिरा के लाईसेंस फीस के स्लैब उपभोगवार वर्ष 2001–2002 की भांति निम्न प्रकार प्रस्तावित हैं–

देशी मदिरा

श्रेणी	मदिरा की वार्षिक न्यूनतम गारन्टीड मात्रा बल्क लीटर में (वित्तीय वर्ष 2001–2002 के वास्तविक उपभोग के आधार पर)	लाईसेंस फीस प्रति दुकान रूपयों में
1.	12,000 बल्क लीटर तक	50,000,00
2.	12,001 से 30,000 बल्क लीटर तक	1,00,000.00
3.	30,001 से 60,000 बल्क लीटर तक	2,00,000.00
4.	60,001 से 1,00,000 बल्क लीटर तक	4,00,000.00
5.	1,00,001 से 1,50,000 बल्क लीटर तक	6,00,000.00
6.	1,50,001 से 3,00,000 बल्क लीटर तक	8,00,000.00
7.	3,00,000 बल्क लीटर से अधिक	10,00,000.00

विदेशी मदिरा

श्रेणी	विदेशी मदिरा की वार्षिक न्यूनतम गारन्टीड मात्रा 750 एम0एल0 बोतल के टर्म में (वित्तीय वर्ष 2001–2002 के वास्तविक उपभोग के आधार पर)	लाईसेंस फीस प्रति दुकान रूपयों में
1.	6,000 बोतल तक	50,000,00
2.	6,001 से 12,000 बोतल तक	1,00,000.00
3.	12,001 से 25,000 बोतल तक	2,00,000.00
4.	25,001 से 50,000 बोतल तक	4,00,000.00
5.	50,001 से 75.000 बोतल तक	6,00,000.00
6.	75,001 से 1,00,000 बोतल तक	8,00,000.00
7.	1,00,000 बोतल से अधिक	10,00,000.00

प्रत्येक दुकान की लाईसेंस फीस व न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की राशि दुकान के व्यवस्थापन के समय निर्धारित कर दी जायेगी। किसी माह में निर्धारित न्यूनतम गारन्टीड अभिकर के विपरीत मदिरा का पूरा उठान हो जाने के उपरान्त दुकान पर और मदिरा की आवश्यकता होने की स्थिति में दुकान की न्यूनतम निर्धारित मासिक गारन्टीड अभिकर से अधिक उठान की अनुमति अभिकर की मूल के अतिरिक्त बढ़ी दर पर अतिरिक्त अभिकर, जैसा कि नीचे स्पष्ट है, जमा कराकर दे दी जायेगी।

किसी माह में मासिक न्यूनतम गारन्टीड राशि से अधिक उठान की स्थिति में मासिक, न्यूनतम गारन्टीड राशि की प्रत्येक 10 प्रतिशत राशि के विपरीत अतिरिक्त उठान पर प्रति बोतल/प्रति लीटर देय न्यूनतम गारन्टीड राशि की मूल निर्धारित दर को 5/– रू0 बढ़ाते हुए मदिरा की निकासी दी जायेगी।

3. देशी मदिरा की दुकानों को प्रतिस्पर्धा/तस्करी से बचाने के लिए देशी मदिरा (मसालेदार) की तीव्रता 36 प्रतिशत वी/वी रखी जायेंगी। कच्ची शराब से मदिरा की दुकानों को सुरक्षित रखने एवं साधारण उपभोक्ता की क्रय शक्ति को दृष्टिगत रखते हुए सादा मदिरा की तीव्रता 25 प्रतिशत वी/वी/ रखी जायेंगी। देशी व विदेशी मदिरा की गुणवत्ता उच्च कोटि की बनाये रखा जाना सुनिश्चित किया जायेगा व इस पर प्रभावी नियंत्रण रखा जायेगा।

4. राज्य के अन्तर्गत प्रतिवर्ष देशी मदिरा के भारी मात्रा में पाली पाऊच जहां तहां फेंके जाने के कारण प्रदूषण बढ़ा है। अतः पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टि से देशी मदिरा की आपूर्ति/उपलब्धता केवल कांच की बोतलों में करायी जायेगी।

5. आंशिक मद्यनिषिद्ध क्षेत्रों, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी एवं रूद्रप्रयाग में परमिट व्यवस्था पूर्व की भांति लागू रखी जाय व राज्य के इन क्षेत्रों में पर्यटन की दृष्टि से पर्यटकों को बिना परमिट के मदिरा बेची जा सकेगी एवं तीन सितारा या उससे उच्च श्रेणी के आवासीय होटलों में कम से कम बार अनुज्ञापन दिये जायेंगे।

6. उत्तरांचल राज्य के स्थायी निवासी के पक्ष में ही दुकानों का आवंटन किया जायेगा। आवेदन पत्र का मूल्य व प्रोसेसिंग फीस रू0 100/– प्रति आवेदन पत्र निर्धारित किया जायेगा। आवेदक को चरित्र प्रमाण–पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा। यदि मूल आवेदन पत्र के साथ आवेदक के द्वारा चरित्र प्रमाण–पत्र उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उसे निर्धारित प्रारूप में एक शपथ पत्र देना होगा और व्यवस्थापन उसके पक्ष में हो जाने पर जिलाधिकारी से चरित्र प्रमाण–पत्र देना होगा। लाईसेसिंग प्राधिकारी द्वारा जांच कराकर सुनिश्चित करवाया जायेगा कि आवेदक अवांछनीय गिरोह से तो नहीं जुड़ा है, तथा दुकानों के व्यवस्थापन के पश्चात उनकी हैसियत की जांच करायी जायेगी।

7. अभिकर की चोरी एवं मदिरा की तस्करी को रोकने के लिए देशी मदिरा/विदेशी मदिरा की बोतलों पर आबकारी विभाग का नम्बर युक्त होलोग्राफिक स्टिकर लगाया जायेगा।

8. राज्य के बाहर की आसवनियों की विदेशी मदिरा/बियर की उपलब्धता हेतु बाण्ड अनुज्ञापन दिये जायेंगे। बी0डब्ल्यू0एफ0एल0–2, एफ0–एल0–2 व अन्य अनुज्ञापनों की लाईसेंस फीस आगामी वर्ष हेतु 10 प्रतिशत बढ़ा दी जायेगी।

9. राज्य में सेब, किन्नु, आलू आदि का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, अतः औद्योगिक विकास एवं फलों की उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए वाईनरी/विंटरी की स्थापना किये जाने पर विचार किया जायेगा।

10. राज्य के राजस्व संसाधनों में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए विदेशी मदिरा के अभिकर में जो वर्तमान में रू. 48 प्रति ए0एल0 है, को बढ़ा कर रू0 50/– प्रति ए0एल0 तथा विभिन्न अनुज्ञापनों पर देय अनुज्ञापन शुल्क में यथा आवश्यक वृद्धि की जायेगी।

11. सेना को मदिरा/बियर आदि की आपूर्ति सम्बन्धी वर्तमान व्यवस्था जारी रखी जायेगी। जब तक कि उत्तरांचल में कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेन्ट (सी0एस0डी0) डिपो न खुल जाये। सैन्य कैन्टीनों के माध्यम से बेची जाने वाली मदिरा पर पूर्व वर्ष की भांति यथावत व्यवस्था बनाये रखी जायेगी।

12. (1) विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापनों की व्यवस्था गढ़वाल मंडल विकास निगम एवं कुमाऊं मंडल विकास निगम एवं भूतपूर्व सैनिकों की पंजीकृत को–ऑपरेटिव सोसाईटीज व अन्य सरकारी विभागों के द्वारा कराया जायेगा।

(2) वर्तमान में जिन फुटकर बिकी की दुकानों का व्यवस्थापन नहीं होता है उन्हें गढ़वाल मण्डल विकास निगम एवं कुमाऊं मंडल विकास निगम अथवा भूतपूर्व सैनिकों की पंजीकृत को–ऑपरेटिव सोसाईटीज के पक्ष में निर्धारित राजस्व पर निगोसियेशन द्वारा व्यवस्थापित किया जायेगा।

13. मासिक अभिकर/अधिभार के अनुज्ञापी द्वारा विलम्बित भुगतानों पर पेनाल्टी की व्यवस्था की जायेगी।

14. बार अनुज्ञापनों पर अनुज्ञापन शुल्क 2.0 लाख रूपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रूपये कर दिया जायेगा तथा क्लब बारों की लाईसेंस फीस में भी 25 प्रतिशत की वृद्धि कर दी जायेगी। बार व क्लबबार लाईसेंस से बेची जाने वाली मदिरा की प्रत्येक बोतल पर 30/– रू0 व बियर की प्रत्येक बोतल पर 5/– रू0 अधिभार लगाया जायेगा व बारों के लिए मदिरा की न्यूनतम वार्षिक मात्रा के अनुसार श्रेणियां बनायी जायेंगी। एक सीमा से अधिक मदिरा उठान पर बढ़ी दर से अभिकर दिये जाने की व्यवस्था की जायेगी।

15. मदिरा का व्यापार करने वाली ईकाइयों व अनुज्ञापियों पर कठोर नियंत्रण रखा जायेगा एवं स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाया जायेगा।

16. आबकारी अधिनियम की धारा–60, धारा–63 व धारा–68 के प्राविधानों को कठोर बनाते हुए अधिक अर्थदण्ड व सजा की व्यवस्था की जायेगी।

17. शेष बिन्दुओं पर पुरानी नीति प्रभावी रहेगी।

18. उपर्युक्त के कियान्वयन हेतु पृथक से संशोधित नियमावलियां बनायी जायेंगी।

वर्ष 2002–2003 की शीरा नीति

शासनादेश संख्या:131/आब0/01/2002–2003 दिनांक फरवरी 11, 2003

1. शीरा वर्ष 2002–03 में प्रत्येक चीनी मिल द्वारा उत्पादित शीरे के 10 प्रतिशत अंश को प्रदेश से बाहर निर्यात करने की छूट रहेगी।

2. शीरा वर्ष 2002–03 में उत्पादित शीरे में से 10 प्रतिशत शीरा उत्तरांचल के देशी मदिरा निर्माताओं को आपूर्ति हेतु आरक्षित रखा जायेगा।

3. शेष 80 प्रतिशत शीरा उत्तरांचल की इकाईयों एवं उत्तर प्रदेश की शीरा/अल्कोहल आधारित रासायनिक उद्योगों को बिक्री हेतु उपलब्ध रहेगा। चीनी मिलों द्वारा उत्पादित मदिरा हेतु अनारक्षित 10 प्रतिशत शीरे के नियमित उठान हेतु यह व्यवस्था की गयी है कि पेय मदिरा निर्माण करने वाली आसवनियां अपने निर्धारित एम0जी0क्यू0 को प्रत्येक त्रैमास के कोटे के सापेक्ष शीरे की वांछित मात्रा को उसी अवधि में चीनी मिलों से उठान करेगी और यदि निर्धारित अवधि में आसवनियां अपने देशी मदिरा के कोटे के अनुरूप शीरे की मात्रा का उठान नहीं करती है, तो उस अवशेष शीरे की मात्रा को शीरा नियंत्रक द्वारा अनारक्षित घोषित किया जा सकेगा और इसे उत्तरांचल की इकाईयों एवं उत्तर प्रदेश के शीरा आधारित रासायनिक उद्योगों को बिक्री हेतु अवमुक्त कर दिया जायेगा।

4. उत्तरांचल राज्य के अन्तर्गत स्थित चीनी मिलों के द्वारा उत्पादित शीरा उत्तरांचल के अन्तर्गत तथा उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत स्थित शीरा आधारित रासायनिक उद्योगों को विक्रय किये जाने वाले शीरे पर देय प्रशासनिक शुल्क की वर्तमान प्रचलित दर रू0 5/– प्रति कुन्टल के स्थान पर रू0 8 प्रति कुन्टल की दर से वसूल की जायेगी तथा अन्य प्रदेशों के शीरा आधारित उद्योगों द्वारा शीरा क्रय किये जाने पर वर्तमान प्रचलित दर रू0 15/– प्रति कुन्टल के स्थान पर 20/– प्रति कुन्टल की दर से प्रशासनिक प्रभार देय होगा।

5. शीरा वर्ष 2002–03 के लिए घोषित नीति अगले शीरा वर्ष में यथावत तब तक प्रभावी रहेगी जब तक कि वर्ष 2003–04 के लिए शीरा नीति की घोषणा नहीं कर दी जाती है।

वर्ष 2003–04 की आबकारी नीति

संख्या:312/18/आब0/2003–04 देहरादून, 22 अप्रैल,, 2003

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1, सन् 1904) की धारा–21 के साथ पठित उत्तरांचल (उतर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) अनुकूलन एवं उपरान्तरण आदेश 2002 की धारा–40 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्रीराज्यपाल उत्तरांचल राज्य में देशी/विदेशी मदिरा एवं बियर की फुटकर बिक्री को विनियमित करने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2003–04 के लिए निम्नलिखित नवीन आबकारी नीति उद्‌घोषित करते हैं–

यह दिनांक 1 मई, 2003 से प्रवृत्त होगी।

1. **लाईसेन्स फीस का निर्धारण**–वित्तीय वर्ष 2003–04 हेतु लाईसेन्स फीस का निर्धारण विगत वित्तीय वर्ष की भांति देशी मदिरा की बल्क लीटर बिक्री एवं विदेशी मदिरा की बोतलों की संख्या में बिक्री के आधार पर स्लैबवार 15 प्रतिशत वृद्धि करते हुए निर्धारित की जाये। इस प्रकार निर्धारित लाईसेन्स फीस में से माह अप्रैल हेतु प्राप्त लाईसेन्स फीस घटाकर वित्तीय वर्ष 2003–04 के शेष 11 माह अर्थात 1.5.2003 से 31.3.2004 तक के लिए लाईसेन्स फीस मानी जायेगी।

2. **अधिभार का निर्धारण**–निजी अनुज्ञापियों तथा भूतपूर्व सैनिकों की पंजीकृत कोआपरेटिव समितियों द्वारा चलाई गई दुकानों के वित्तीय वर्ष 2002–03 में वास्तविक निकासी पर देय अधिभार में 15 प्रतिशत जोड़कर अधिभार निर्धारित किया जाय।

   गढ़वाल मण्डल विकास निगम या कुमाऊं मण्डल विकास निगम के लिए वर्ष 2002–03 हेतु निर्धारित अधिभार एवं वास्तविक निकासी की गयी मदिरा पर देय अधिभार का औसत निकाल कर उसमें 15 प्रतिशत वृद्धि जोड़ दी जाये। इस अधिभार में माह अप्रैल में प्राप्त अधिभार को घटाकर वित्तीय वर्ष 2003–04 की शेष अवधि 1.5.2003 से 31.3.2004 तक के लिए अधिभार का निर्धारण किया जाय।

3. **राजस्व निर्धारण**–उपरोक्त बिन्दु 1 के अनुसार निर्धारित लाईसेन्स फीस एवं बिन्दु 2 के अनुसार निर्धारित अधिभार के योग में यदि अन्य कोई कर देय हो जोड़कर दिनांक 1.5.2003 से 31.3.2004 तक का दुकान का राजस्व माना जायेगा।

4. **देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों का व्यवस्थापन**–उक्त प्रकार बिन्दु–3 की व्यवस्थानुसार दुकानवार, राजस्व निर्धारित करके गढ़वाल मण्डल विकास निगम, कुमायूं मण्डल विकास निगम, भूतपूर्व सैनिकों की पंजीकृत सहकारी समितियों, सहकारी संस्थाओं तथा निजी अनुज्ञापियों से

आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाएंगे। इस प्रकार प्राप्त आवेदन पत्रों में जहां एक दुकान के लिए एक से अधिक आवेदक हैं उस दशा में लाटरी द्वारा आबंटन किया जायेगा।

उपरोक्त दोनों निगमों, भूतपूर्व सैनिकों की पंजीकृत सहकारी समितियों तथा सहकारी संस्थाओं को छोड़कर उपरोक्त प्रक्रिया में निजी अनुज्ञापी को देशी अथवा विदेशी मदिरा की जनपद में एक ही दुकान आबंटित की जायेगी।

5. **देशी एवं विदेशी मदिरा की निकासी में अधिभार की गणना**–निकासी हेतु अधिभार की गणना के स्लैब कम रखे जाएं एवं देशी व विदेशी मदिरा दोनों पर अधिभार कम रखा जाना चाहिए जिससे शराब के मूल्य नियंत्रित रहेंगे तथा तस्करी की सम्भावनायें भी कम होंगी।

6. **विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापन (एफ0एल0–2)**– विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापन (एफ0एल0–2) गढ़वाल एवं कुमाऊं मण्डल विकास निगमों को पूर्ववत् दिये जायेंगे। व्यापार में प्रतिस्पर्धा एवं अबाध आपूर्ति बनाये रखने के लिए सैनिक कल्याण निगम गठित होने पर उसको भी विदेशी मदिरा का थोक अनुज्ञापन दिये जाने पर विचार किया जायेगा तथा विगत वर्ष की भांति भूतपूर्व सैनिकों की पंजीकृत कोआपरेटिव सोसाइटीज को भी थोक अनुज्ञापन दिये जाने पर विचार किया जायेगा एवं एफ0एल0–2 के स्तर पर लिये जाने वाले लाभांश को संतुलित किया जाय।

7. **बार एवं क्लब बार लाईसेंन्स**–बार/क्लब बार लाईसेन्स देने के संबंध में तीन, चार व पांच सितारा होटलों को बार लाईसेंस दिये जाने की वर्तमान व्यवस्था को यथावत् रखा जाए। अन्य होटलों व रेस्त्राओं को बार लाईसेंस दिये जाने के संबंध में उत्तरांचल शासन के आदेश संख्या 110/122/सात–लाईसेंस/ बार–नीति/ 2001–02 दिनांक 6.4.2001 द्वारा जारी की गयी नीति का अनुसरण किया जायेगा। गढ़वाल एवं कुमाऊं मण्डल विकास निगमों के पर्यटक आवास गृहों हेतु वित्तीय वर्ष 2002–03 में निर्धारित नीति यथावत् रहेगी। बार लाईसेन्स स्वीकृत करने का अन्तिम निर्णय शासन द्वारा लिया जायेगा।

8. **नयी आवनियों, बाटलिंग प्लान्ट, ब्रुअरी, विन्टनरी एवं वाइनरी स्थापित करने के सम्बन्ध में**–बाटलिंग प्लान्ट लगाने के लिये इस व्यवसाय में पूर्व से ही प्रतिष्ठित एवं ख्याति प्राप्त निर्माताओं से प्रस्ताव पास होने पर विचार किया जायेगा। ब्रुअरी, विंटनरी एवं वायनरी की स्थापना हेतु लाईसेंस देने पर भी विचार किया जायेगा।

9. देशी मदिरा के वर्तमान आबंटन क्षेत्र को विगत वर्ष की भांति रखा जायेगा।

10. भांग के अनुज्ञापन में वर्ष 2002–03 की नीति को यथावत् रखा जायेगा।

11. बार व क्लब बारों को छोड़कर अन्य लाईसेन्स फीसों में भी 15 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।

12. राज्य के संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए विदेशी मदिरा पर देय अभिकर को 50.000 रूपये प्रति अल्कोहलिक लीटर के स्थान पर 52.00 रूपये प्रति अल्कोहलिक लीटर किया जाय।

13. देशी मदिरा में प्रयुक्त होने वाली पुरानी बोतलों का प्रयोग 30 अगस्त, 2003 के बाद समाप्त कर दिया जाय और दिनांक 01 सितम्बर, 2003 में शत प्रतिशत नई बोतलों का प्रयोग किया जायेगा।

14. अन्य व्यवस्थायें विगत वित्तीय वर्ष 2002–03 की ही भांति रखी जायेंगी।

15. उपरोक्त के कियान्वयन हेतु शासन तथा आबकारी आयुक्त द्वारा आवश्यकतानुसार पृथक से संशोधित नियमावलियां बनाई जायेंगी।

वर्ष 2003–2004 की शीरा नीति

शासनादेश संख्याः1464/आब0/02/2003–2004 दिनांक दिसम्बर 31, 2003

1. शीरा वर्ष 2003–04 में प्रत्येक चीनी मिल को उनके द्वारा उत्पादित शीरे में से 20 प्रतिशत अंश का प्रदेश से बाहर निर्यात करने की छूट प्रदान की जाय।

2. शीरा वर्ष 2003–04 में उत्पादित शीरे में से प्रत्येक चीनी मिल को उनके द्वारा उत्पादित शीरे के 20 प्रतिशत अंश का प्रदेश से बाहर निर्यात करने की छूट रहेंगी।

3. शीरा वर्ष 2003–04 में उत्पादित शीरे में से 10 प्रतिशत शीरा उत्तरांचल के देशी शराब निर्माताओं को पूर्व वर्षों के प्रतिबन्धों के अधीन आपूर्ति हेतु आरक्षित रखा जायेगा।

4. शेष 70 प्रतिशत शीरा उत्तरांचल की इकाईयों एवं उत्तर प्रदेश के शीरा/अल्कोहल आधारित रासायनिक उद्योगों को बिक्री हेतु उपलब्ध रहेगा।

5. वर्ष 2003–04 के लिए शीरे से संबंधित अन्य सभी शर्तें एवं प्रतिबंध शीरा वर्ष 2002–03 के अनुसार प्रभावी रहेगी तथा शीरा वर्ष 2003–04 के लिए घोषित नीति अगले वर्ष में यथावत तब तक प्रभावी रहेगी जब तक कि वर्ष 2004–05 के लिए शीरा नीति घोषित नहीं कर दी जाती है।

वर्ष 2004–05 की आबकारी नीति

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 40 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल द्वारा उत्तरांचल राज्य में देशी/विदेशी मदिरा एवं बियर की फुटकर बिक्री को विनियमित करने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2004–05 के लिए नवीन आबकारी नीति शासनादेश सं0 780/XXIII/04/03/2004 टी0सी0 दिनांक 31 मई, 2004 द्वारा घोषित की गई। यह नीति दिनांक 11 जून,2004 से प्रभावी होगी और दिनांक 10–06–2004 तक वर्ष 2003–04 की नीति प्रभावी रहेगी।

1. **लाईसेन्स फीस का निर्धारण**–वित्तीय वर्ष 2004–05 हेतु लाईसेन्स फीस का निर्धारण विगत वित्तीय वर्ष 2003–04 में देशी मदिरा की बल्क लीटर बिक्री एवं विदेशी मदिरा की बोतलों की संख्या में बिक्री के आधार पर वित्तीय वर्ष 2003–04 हेतु निर्धारित स्लैबवार लाईसेन्स फीस में 15 प्रतिशत वृद्धि करते हुए निर्धारित की जायेगी। इसमें से दिनांक 01 अप्रैल, 2004 से 10 जून 2004 तक के लिए प्राप्त लाईसेन्स फीस घटाकर वित्तीय वर्ष की शेष अवधि अर्थात दिनांक 11.6.2004 से 31.3. 2005 तक की लाईसेन्स फीस निर्धारित की जायेगी।

2. **अधिभार का निर्धारण**– देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों के लिए वित्तीय वर्ष 2003–04 में वास्तविक निकासी पर देय अभिधार में 15 प्रतिशत वृद्धि जोड़कर वित्तीय वर्ष 2004–04 हेतु अधिभार निर्धारित किया जायेगा। इसमें से दिनांक 01 अप्रैल, 2004 से 10 जून, 2004 तक प्राप्त अधिभार घटाकर वित्तीय वर्ष 2004–05 की शेष अवधि के लिए अधिभार माना जायेगा।

3. **राजस्व निर्धारण**–उपरोक्त बिन्दु 1 के अनुसार निर्धारित लाईसेन्स फीस एवं बिन्दु 2 के अनुसार निर्धारित अधिभार के योग में यदि अन्य कोई कर देय हो जोड़कर दिनांक 11.6.2004 से 31.3.2005 तक दुकान का 'राजस्व' माना जायेगा।

4. **देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों का व्यवस्थापन**–उक्त प्रकार बिन्दु–3 की व्यवस्थानुसार दुकानवार 'राजस्व' निर्धारित करके गढ़वाल मण्डल विकास निगम, कुमायूं मण्डल विकास निगम, पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0, भूतपूर्व सैनिकों की पंजीकृत सहकारी समितियों, सहकारी संस्थाओं तथा निजी आवेदकों से निर्धारित राजस्व पर देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान चलाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। इस प्रकार प्राप्त आवेदन पत्रों में जहां एक दुकान के लिए एक से अधिक आवेदक हैं उस दशा में लाटरी द्वारा आबंटन किया जायेगा।

उपरोक्त दोनों निगमों, पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0, भूतपूर्व सैनिकों की पंजीकृत सहकारी समितियों तथा सहकारी संस्थाओं को छोड़कर उपरोक्त प्रकिया में निजी अनुज्ञापी को जनपद में देशी तथा विदेशी मदिरा की एक दुकान से अधिक आबंटित नहीं की जायेगी। अर्थात् देशी मदिरा की अथवा विदेशी मदिरा की केवल एक ही दुकान आबंटित की जा सकेगी।

उपरोक्त प्रकिया में यदि कोई देशी व विदेशी मदिरा की दुकान अव्यवस्थापित रह जाय तो उनके व्यवस्थापन के संबंध में आबकारी आयुक्त द्वारा शासन के अनुमोदनोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।

5. **पात्रता**–दुकानों के आबंटन की पात्रता हेतु गत वित्तीय वर्ष की भांति उत्तरांचल के स्थाई निवासी के साथ ही वित्तीय वर्ष 2003–04 की पात्रता एवं आबंटन की अन्य शर्तें एवं प्रकिया भी लागू रहेगी।

6. **देशी एवं विदेशी मदिरा की निकासी में अधिभार की गणना**–निकासी हेतु अधिभार का निर्धारण दिनांक 19–7–2002 से प्रभावी है। विदेशी मदिरा की निकासी हेतु अधिभार की दरों में वृद्धि आबकारी आयुक्त द्वारा शासन के अनुमोदनोपरान्त निर्धारित की जायेगी।

7. **मदिरा का विकय मूल्य**–मदिरा के विकय मूल्य के परिपेक्ष्य में अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति पर नियंत्रण लगाया जायेगा। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा करने पर अनुज्ञापन निरस्त भी किया जा सकता है।

8. **विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापन (एफ0एल0–2)**– विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापन (एफ0एल0–2) गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल विकास निगमों द्वारा आवेदन करने पर उन्हें पूर्ववत् दिये जायेंगे। पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0, उत्तरांचल को भी उनके द्वारा आवेदन करने पर विदेशी मदिरा का थोक अनुज्ञापन दिये जाने पर विचार किया जायेगा। एफ0एल0–2 के स्तर के लिये जाने वाले लाभांश को इस प्रकार तार्किक (Rationalise) किया जायेगा कि इसके कारण उत्तरांचल राज्य में मदिरा अन्य पड़ोसी राज्यों के सापेक्ष मंहगी न हो तथा अवैध तस्करी की सम्भावना न रहे। इसको एक्स आसवनी मूल्यों के आधार पर आबकारी आयुक्त द्वारा शासन की पूर्वानुमति के उपरान्त निर्धारित किया जायेगा।

9. **बार एवं क्लब बार लाईसेन्स**–बार/क्लब बार लाईसेन्स देने के संबंध में तीन, चार व पांच सितारा होटलों को बार लाईसेन्स दिये जाने की वर्तमान व्यवस्था यथावत् रहेगी। अन्य होटलों व रेखाओं को बार लाईसेन्स दिये जाने के सम्बन्ध में उत्तरांचल शासन के आदेश संख्या 110–122/सात लाईसेन्स/बार–नीति/ 2001–02 दिनांक 6–4–2001 द्वारा जारी की गयी नीति का अनुसरण किया जायेगा।

परन्तु यह प्रतिबन्ध होगा कि प्रश्नगत आवेदक होटल/रेस्त्रा का विगत वर्ष में पके भोजन का विक्रय धन रू0 3.00 लाख (तीन लाख रूपये) से कम न रहा हो।

गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल विकास निगमों के पर्यटक आवास गृहों हेतु वित्तीय वर्ष 2002–03 में निर्धारित नीति यथावत् रहेगी।

चार व पांच सितारा होटल एवं क्लब बारों की लाइसेंस फीस पूर्ववत रहेगी। अन्य बार की लाईसेन्स फीस 2.00 लाख रूपये प्रति वर्ष रखी जायेगी परन्तु बार में बीस हजार बोतल तक वार्षिक बिक्री होने वाली मदिरा पर परमिट फीस रू. 30.00 प्रति बोतल के स्थान पर रू0 40.00 प्रति बोतल रहेगी। बीस हजार बोतल से अधिक की बिक्री पर पूर्व वर्ष की भांति प्रत्येक 10 प्रतिशत की वृद्धि पर रू. 5.00 की दर से अतिरिक्त परमिट फीस लागू रहेगी।

जिन स्थलों पर सीजनल पर्यटकों के आने के कारण कुछ महीनों में ही अधिक व्यवसाय होता है, वहां छः माह की अवधि के लिए भी लाईसेंस दिये जा सकते हैं।

10. बियर बार लाईसेन्स–पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने की दृष्टि से उन होटल एवं रेस्त्राओं को, जिनकी विगत तीन वर्षों में पके हुए भोजन की बिक्री 3.00 लाख रूपये (तीन लाख रूपये) वार्षिक या उससे अधिक रही हो, उन्हें रूपये 50,000.00 (रूपये पचास हजार) प्रति वर्ष की दर से अनुज्ञापन शुल्क के आधार पर बियर बार लाइसेन्स स्वीकृत किये जायेंगे। इस अनुज्ञापन के अन्तर्गत वह केवल बियर की ही बिक्री करने के पात्र होंगे।

जिन स्थलों पर सीजनल पर्यटकों के आने के कारण कुछ महीनों में ही अधिक व्यवसाय होता है, वहां छः माह की अवधि के लिये भी लाईसेन्स दिये जा सकेंगे।

11. आसवनियों बटालिंग प्लान्ट, ब्रुअरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना–

(AB) आसवनियों की स्थापना हेतु अनुज्ञापन देने पर विचार नहीं किया जायेगा।

(BK) बाटलिंग प्लान्ट लगाने के लिए पूर्व वर्ष की नीति की भांति ही इस व्यवसाय में पूर्व से ही प्रतिष्ठित एवं ख्याति प्राप्त निर्माताओं से प्रस्ताव पास होने पर विचार किया जायेगा।

(CK) ब्रुअरी, विन्टनरी एवं वायनरी की स्थापना हेतु पूर्व वर्ष की भांति लाईसेन्स देने पर विचार किया जायेगा।

12. देशी मदिरा के वर्तमान आबंटन क्षेत्र को विगत वर्ष की ही भांति रखा जायेगा।

13. भांग के अनुज्ञापन में वर्ष 2002–03 की नीति को यथावत् रखा जायेगा।

14. बार एवं क्लब बारों को छोड़कर अन्य लाईसेन्स फीस में भी 15 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी। तीन चार व पांच सितारा होटल एवं बार/क्लब बारों की फीस उपरोक्त प्रस्तर–9 की व्यवस्थानुसार रहेगी।

15. राज्य के संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए विदेशी मदिरा पर देय अभिकर को 52.00 रूपये प्रति अल्कोहलिक लीटर के स्थान पर 55.00 रूपये प्रति अल्कोहलिक लीटर किया जायेगा।

16. देशी मदिरा में प्रयुक्त होने वाली नई बोतलों की व्यवस्था यथावत् रहेगी।

17. अन्य व्यवस्थायें विगत वित्तीय वर्ष 2003–04 की ही भांति रहेगी।

18. वित्तीय वर्ष 2004–05 हेतु आबकारी विभाग का राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य 300.00 करोड़ रूपये (तीन सौ करोड़ रूपये मात्र) होगा।

19. उपरोक्त के कियान्वयन हेतु शासन तथा आबकारी आयुक्त द्वारा आवश्यकतानुसार पृथक से संशोधित नियमावली बनाई जायेगी।

वर्ष 2004–2005 की शीरा नीति

शासनादेश संख्याः3486ई–2/तेरह–2004–77/2004 दिनांक नवम्बर 19, 2004

1. प्रदेश में शीरे के उत्पादन में सम्भावित कमी को देखते हुए प्रदेश के बाहर शीरे के निर्यात को शीरा वर्ष 2004–05 में प्रतिबन्धित रखा जाए। उक्त प्रतिबन्ध से उत्तरांचल राज्य की रासायनिक इकाईयों को शासनादेश संख्या–2930 ई–2/तेरह–2004–227/2000 दिनांक 20 सितम्बर, 2004 में लिये गये निर्णयानुसार आपूर्ति किये जाने वाले शीरे की मात्रा आच्छादित नहीं होगी एवं छाता शुगर मिल, मथुरा के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–1531 ई–2/तेरह–2000–54/2000 दिनांक 07 जून, 2000 पूर्ववत लागू रहेंगे।

2. प्रत्येक चीनी मिल में शीरा वर्ष 2004–05 में उत्पादित शीरे का 20 प्रतिशत शीरा देशी मदिरा के लिए इस प्रतिबन्ध के साथ आरक्षित रहेगा कि प्रश्नगत आरक्षित सीमा की छमाही समीक्षा की जायेगी एवं आवश्यकतानुसार शासन द्वारा उक्त सीमा को संशोधित किया जा सकेगा। प्रत्येक 02 माह में एक बार चीनी मिलों द्वारा शीरे का निस्तारण आरक्षित/अनारक्षित के मध्य 1:3 के अनुपात में किया जायेगा। ऐसी चीनी मिलें जिनके द्वारा देशी मदिरा का निर्माण किया जाता है उस सीमा तक इस आरक्षण से मुक्त रहेंगी, जिस सीमा तक वे देशी मदिरा के निर्माण के लिए अपनी स्वयं की चीनी मिल द्वारा उत्पादित शीरे का स्वयं उपभोग करेंगी।

3. गतवर्ष की भांति शीरा वर्ष 2004–05 में प्रदेश के अन्दर खपत होने वाले शीरे पर रूपये 11/– प्रति कुन्टल तथा प्रदेश के बाहर निर्यात किये जाने वाले शीरे, जिसमें उत्तरांचल राज्य को आपूर्ति किये जाने वाला शीरा भी सम्मिलित है, पर प्रशासनिक शुल्क की दर रूपये 15/– प्रति कुन्टल रहेगी।

4. शीरे के आयात पर प्रशासनिक शुल्क की दर प्रदेश के अन्दर खपत होने वाले शीरे पर अधिरोपित प्रशासनिक शुल्क की दर के समान ही रूपये 11/– प्रति कुन्टल होगी।

5. गतवर्ष की भांति शीरा वर्ष 2004–05 में भी शीरा निधि की धनराशि को अर्न्तइकाई हस्तान्तरण की सुविधा एक ही संगठन की सभी चीनी मिलों को प्रदान की जाये, किन्तु शीरा निधि का अर्न्तइकाई हस्तान्तरण करने के पूर्व आबकारी आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

6. पेट्रोल में मिलाने के लिए पावर अल्कोहल की आपूर्ति के सम्बन्ध में भारत सरकार से हुए समझौते के अनुपालन हेतु सह–आसवनी (पावर अल्कोहल उत्पादन करने वाली) वाली चीनी मिलों में यदि शीरे की कमी होती है और इस सम्बन्ध में उनका प्रत्यावेदन प्राप्त होता है तो उस पर गुणावगुण के आधार पर शासन द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

7. शीरा वर्ष 2004–05 के लिये घोषित नीति अगले शीरा वर्ष 2005–06 में यथावत तब तक प्रभावी रहेगी, जब तक कि वर्ष 2005–06 के लिये शीरा नीति की घोषणा नहीं कर दी जाती।

2005–06 के लिए आबकारी नीति

श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) (उत्तरांचल में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के साथ पठित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तरांचल राज्य में देशी एवं विदेशी मदिरा एवं बियर की फुटकर बिक्री को विनियमित करने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2005–2006 के लिए निम्नवत् आबकारी नीति घोषित करते हैं–

यह नीति दिनांक 1 अप्रैल, 2005 से 31 मार्च 2005 तक प्रभावी रहेगी।

1. **लाईसेंस फीस का निर्धारण**– वित्तीय वर्ष 2005–2006 की लाईसेन्स फीस के निर्धारण हेतु, वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिए निर्धारित देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों की श्रेणी देशी मदिरा के लिए बल्क लीटर में एवं विदेशी मदिरा के लिए बोतलों में वित्तीय वर्ष 2004–2005 की भांति स्लैबवार यथावत् रखी जायेगी तथा प्रत्येक स्लैब के लिए 'निर्धारित लाईसेंस फीस' में 15 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

2. **न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी का निर्धारण**– वित्तीय वर्ष–2004–05 में दुकानदार 'निर्धारित अधिभार' (न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी) में 15 प्रतिशत की वृद्धि करके वित्तीय वर्ष 2005–2006 की न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी निर्धारित कर दी जायेगी।

3. **'राजस्व' निर्धारण**–उपरोक्तानुसार वर्ष 2005–2006 के लिए निर्धारित लाईसेंस फीस एवं न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी का कुल योग दुकानों का 'राजस्व' होगा।

4. **देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों के राजस्व का व्यवस्थापन**–प्रत्येक जनपद में स्थित देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों के लिए उपरोक्त प्रकियानुसार दुकानवार 'राजस्व' निर्धारित करते हुए जनपद का कुल 'राजस्व' निर्धारित कर दिया जायेगा जिसके आधार पर जिलाधिकारी दुकानों का व्यवस्थापन करेंगे। जिलाधिकारी दुकानों का 'राजस्व' सामान्य रूप से उपरोक्त सिद्वान्त के अनुरूप निर्धारित करेंगे परंतु दुकान का 'राजस्व' निर्धारित करते समय इस बिन्दु को भी ध्यान में रखेंगे कि वित्तीय वर्ष 2003–2004 तथा 2004–2005 के व्यवस्थापन के समय कुछ दुकानों के लिए बड़ी मात्रा में आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे जो यह इंगित करता हो कि इन दुकानों की सामर्थ्य निर्धारित राजस्व से काफी अधिक है तो वह जिलाधिकारी ऐसी दुकानों का 'राजस्व' निर्धारित करते समय दुकान की

सामर्थ्य के आधार पर, आबकारी आयुक्त के पूर्वानुमोदन के आगणित राशि से अधिक राजस्व निर्धारित कर सकेंगे।

5. **देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का आवंटन**– जिलाधिकारी द्वारा दुकानवार 'राजस्व' निर्धारित करने के पश्चात गढ़वाल मण्डल विकास निगम, कुमाऊं मण्डल विकास निगम, पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0, भूतपूर्व सैनिकों की पंजीकृत सहकारी समितियों, सहकारी संस्थाओं तथा निजी आवेदकों से 'निर्धारित राजस्व' पर देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान चलाने हेतु निर्धारित प्रारूप पर, जिसका मूल्य 200.00 रूपये होगा, आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। जहां एक दुकान के लिए एक ही आवेदक हो उसे दुकान आबंटित कर दी जायेगी तथा एक से अधिक आवेदकों की दशा में लाटरी द्वारा आबंटन किया जायेगा। देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन हेतु उपरोक्त प्रकिया तब तक अपनाई जायेगी जब तक समस्त दुकानें व्यवस्थापित नहीं हो जाती है।

परन्तु यदि वित्तीय वर्ष 2005–2006 की किसी अवधि में दुकान व्यवस्थापन की प्रक्रिया में समय लगता है तो व्यवस्थापन की अवधि में दुकान को दैनिक आधार पर चलाया जायेगा। इसके लिए भूतपूर्व सैनिकों को उनके द्वारा अनुमोदन करने पर निर्धारित 'राजस्व' के सापेक्ष दैनिक मूल्य पर संचालित करने की अनुमति प्रदान किये जाने पर भी विचार किया जा सकेगा।

परन्तु यह और कि उपरोक्त दोनों निगमों, पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0, भूतपूर्व सैनिकों की पंजीकृत सहकारी समितियों तथा सहकारी संस्थाओं को छोड़कर, उपरोक्त प्रक्रिया में निजी अनुज्ञापी को एक जनपद में देशी एवं विदेशी मदिरा की एक से अधिक दुकान आबंटित नहीं की जायेगी, अर्थात देशी अथवा विदेशी मदिरा में से केवल एक ही दुकान आबंटित की जा सकेंगी।

परन्तु यह भी कि यदि उपरोक्त प्रकिया में कोई देशी या विदेशी मदिरा की दुकान अव्यवस्थापित रह जाती है तो उनके व्यवस्थापन के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त द्वारा शासन के अनुमोदनोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।

6. **पात्रता**– देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के आबंटन के सम्बन्ध में पात्रता की शर्तें वित्तीय वर्ष 2004–2005 के अनुरूप होंगी।

अनुज्ञापी को दुकान आबंटित होने के तीस दिन के भीतर जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त हैसियत प्रमाण–पत्र तथा चरित्र प्रमाण–पत्र लाइसेंसिग प्राधिकारी (कलक्टर) के पास प्रस्तुत करना होगा। पावर आफ एटार्नी के आधार पर दुकान संचालित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

7. **देशी एवं विदेशी मदिरा की निकासी में न्यूनतम ड्यूटी की गणना**–निकासी एवं न्यूनतम ड्यूटी की गणना के लिए उपरोक्त मद 2 के अनुसार न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी में मद 1 के अनुसार

2005–2006 के लिए निर्धारित 'लाईसेंस फीस' एवं वर्ष 2004–2005 की 'लाईसेंस फीस' के अन्तर को जोड़ते हुए कुल धनराशि पर निकासी दी जायेगी अर्थात् वर्ष 2004–2005 की तुलना वर्ष 2005–2006 की लाईसेंस फीस में हुई वृद्वि को भी वर्ष 2005–2006 हेतु निर्धारित कर न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी में जोड़ते हेतु सम्पूर्ण धनराशि के विरूद्ध न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की गणना की जायेगी।

8. **देशी एवं विदेशी मदिरा पर उत्पादन शुल्क की दर**–विदेशी मदिरा संदेय उत्पाद शुल्क की दर रू0 55.00 रू0 प्रति अल्कोहलिक लीटर होगी। देशी मदिरा (36वी0/वी0 तीव्रता) पर ड्यूटी रू0 66.00 से बढ़ाकर रू0 70.00 रू0 प्रति बल्क लीटर की जायेगी।

9. **विदेशी मदिरा की निकासी पर न्यूनतम ड्यूटी की गणना निम्न प्रकार होगी–**

रू0 20.00 प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 55.00
रू.0 20.01 से रू0 35.00 तक एक्स आसवानी मूल्य पर	रू0 65.00
रू0 35.01 से रू0 75.00 तक एक्स आसवानी मूल्य पर	रू0 80.00
रू0 75.01 से रू0 150.00 तक एक्स आसवानी मूल्य पर	रू0 100.00
रू0 150.00 से अधिक एक्स आसवानी मूल्य पर	रू0 110.00

10. **सैन्य कैन्टीनों द्वारा बिकी पर ड्यूटी तथा एसेस्मेंट फीस की दर**–उत्तरांचल में वर्तमान समय में विदेशी मदिरा की बिकी पर ड्यूटी की दर 55.00 रू0 प्रति अल्कोहलिक लीटर है जबकि सैन्य कैन्टीनों को दी जाने वाली रियायती रम पर यह दर रू0 43.00 प्रति अल्कोहलिक लीटर है। इसे बढ़ाकर 45.00 रू0 प्रति अल्कोहलिक लीटर किया जाता है।

उपरोक्तानुसार ही सैन्य कैन्टीनों द्वारा बिकी की जाने वाली विदेशी मदिरा (व्हिस्की, ब्राण्डी एवं जिन) पर एसेस्मेन्ट फीस की दर 30.00 रू0 प्रति बोतल से बढ़ाकर 32.00 रू0 प्रति बोतल तथा रियायती रम पर 18.00 रू0 प्रति बोतल को बढ़ाकर 20.00 रू0 प्रति बोतल किया जाता है।

11. **मदिरा का विकय मूल्य**– वित्तीय वर्ष 2004–2005 की भांति मदिरा के विकय मूल्य के परिपेक्ष्य में अवांछनीय प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति को नियंत्रित किया जायेगा। अवांछनीय प्रतिस्पर्धा की स्थिति में अनुज्ञापन निरस्त किया जा सकेगा।

12. **विदेशी मदिरा के थोक (एफ0एल0–2) अनुज्ञापन**–वित्तीय वर्ष 2004–2005 की भांति वित्तीय वर्ष 2005–2006 के लिए विदेशी मदिरा के थोक (एफ0एफ0–2) अनुज्ञापन गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल विकास निगमों द्वारा आवेदन करने पर उन्हें पूर्ववत दिये जायेंगे।

वित्तीय वर्ष 2005–2006 में गढ़वाल मण्डल में गढ़वाल मण्डल विकास निगम एवं कुमायूँ मण्डल में कुमायूं मण्डल विकास निगम के साथ–साथ दोनों मण्डलों के जनपदों में और पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0 को भी आवेदन करने पर एफ0एल0–2 अनुज्ञापन प्रदान किया जायेगा तथा एफ0एल0–2 के स्तर पर लिया जाने वाला लाभांश गत वर्ष आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

13. **गढ़वाल मण्डल मे पांच जनपदों में देशी मदिरा की दुकानों का संचालन**–गढ़वाल मण्डल के पांच जनपदों पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी व रूद्रप्रयाग में वित्तीय वर्ष 2004–2005 की भांति केवल विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें ही संचालित की जायेंगी। इन जनपदों में फुटकर दुकानों से विदेशी मदिरा की परमिट की व्यवस्था, जो लागू हो, उसे समाप्त कर दिया जायेगा।

14. **जनपदों में दुकानों का स्थान परिवर्तन**– जिलाधिकारियों द्वारा दुकान रहित स्थानों में स्वविवेकानुसार दुकान खोलने के निर्णय लिये जा सकेंगे परन्तु दुकानों को खोलने से पूर्व दुकान का राजस्व एवं दुकान खोलने के आधार सहित आबकारी आयुक्त का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा। स्थान परिवर्तन की जाने वाली दुकानों का राजस्व जनपद की अन्य दुकानों के राजस्व के अतिरिक्त होगा।

15. जनपदों में देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों को बन्द करने के सम्बन्ध में भी जिलाधिकारी जनपद की आवश्यकतानुसार स्वविवेकानुसार निर्णय ले सकेंगे। ऐसी स्थिति में न तो सम्बन्धित जनपद का आबंटित राजस्व कम होगा और न ही क्षेत्र दुकान रहित होगा। जनपद की सीमान्तर्गत दुकान किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतिरत किया जाना अपेक्षित हो तो इस सम्बन्ध में भी जिलाधिकारी स्वविवेकानुसार आबकारी अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्णय ले सकेंगे परन्तु ऐसी स्थिति में किसी दुकान के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा कोई क्षेत्र दुकान रहित जोन नहीं हो सकेगा।

16. **बार एवं क्लब बार लाईसेंस**–बार अनुज्ञापन के फलस्वरूप दी जाने वाली विदेशी मदिरा की निकासी पर ड्यूटी की दर एफ0एल0–5डी हेतु निर्धारित ड्यूटी की दर के अनुरूप होगी। होटल एवं रेस्त्राओं के अलावा गढ़वाल मण्डल विकास निगम एवं कुमायूं मण्डल विकास निगम के पर्यटक आवास गृहों द्वारा मांग किये जाने पर बार लाईसेंस निर्गत किये जा सकेंगे। अनुज्ञापन से सम्बन्धित अन्य व्यवस्था एवं शर्तें वित्तीय वर्ष 2004–2005 के अनुरूप यथावत रहेंगी।

17. **बियर बार लाइसेंस**–बियर बार लाईसेंस स्वीकृत किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2004–2005 की नीतियों का अनुसरण पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने की दृष्टि से, उन होटलों एवं रेस्त्राओं, जिनकी विगत तीन वर्षों में पके हुए भोजन की बिकी 3.00 लाख रूपये (तीन लाख रूपये) वार्षिक या उससे अधिक रही हो, उन्हें रूपये 30,000.00 (रूपये तीस हजार) प्रति वर्ष की दर से अनुज्ञापन शुल्क के

आधार पर बियर बार लाईसेंस स्वीकृत किये जा सकेंगे। इस अनुज्ञापन के अन्तर्गत वह केवल बियर की बिक्री के पात्र होंगे।

सीजनल पर्यटक स्थलों के लिए छः माह की अवधि के लिए भी लाईसेंस दिये जा सकेंगे एवं सीजनल बियर बारों हेतु लाईसेंस फी, बियर बार हेतु निर्धारित लाईसेंस फीस की आधी, अर्थात रू0 15,000.00 (पन्द्रह हजार रूपये मात्र) होगी।

बड़े व्यावसायिक होटलों को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे होटल एवं रेस्त्राओं को भी बियर बार लाईसेंस देने पर विचार किया जायेगा। यदि आवेदन किये जाने वाले वर्ष में आवेदन किये जाने की तिथि तक उनके होटल/रेस्त्रां में पके हुए भोजन की बिक्री रू0 3.00 लाख अथवा उससे अधिक हो।

18. **आसवनियों, बॉटलिंग प्लान्ट, ब्रुअरी, बिन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना**—आसवनियों, बॉटलिंग, ब्रुअरी, बिन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2004—2005 के अनुरूप निम्न व्यवस्था रखी जायेगी।

(क) आसवनियों की स्थापना हेतु अनुज्ञापन देने पर विचार नहीं किया जायेगा।

(ख) बाटलिंग प्लान्ट लगाने के लिए पूर्व वर्ष की नीति के अनुरूप इस व्यवसाय में पूर्व से ही प्रतिष्ठित एवं ख्यातिप्राप्त निर्माताओं से प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।

(ग) ब्रुअरी, बिन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना हेतु पूर्व वित्तीय वर्ष के अनुरुप लाईसेन्स देने पर विचार किया जायेगा।

19. **गैसोहोल/इथेनॉल प्लान्ट**—आसवनी की आवश्यकता को देखते हुए एवं उत्तरांचल शीरा डेफिसिट राज्य होने के कारण गैसोहोल/इथेनॉल प्लान्ट स्थापित करने हेतु अनुमति नहीं दी जायेगी।

20. देशी एवं विदेशी मदिरा की बोतलों पर वर्तमान में होलोग्राम लगाये जाने की व्यवस्था यथावत् रखी जायेगी।

21. देशी मदिरा की शत प्रतिशत भराई वर्ष 2004—2005 के अनुरूप कॉच की नई बोतलों में ही की जायेगी। पोली पाऊचों में देशी मदिरा की बिकी पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।

22. देशी मदिरा की वर्तमान आबंटन क्षेत्र को वर्ष 2004—2005 के अनुरूप रखा जायेगा।

23. विदेशी मदिरा एवं बियर की पोली पाऊचों/प्लास्टिक की बोतलों में बिकी पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध उत्तरांचल राज्य में स्थित सैन्य कैन्टीनों पर भी लागू रहेगा।

24. भांग के अनुज्ञापन में वर्ष 2002—2003 की नीति को यथावत् रखा जायेगा।

25. बार एवं क्लब बारों को छोड़कर अन्य लाईसेंस फीस में भी 15 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी तथा चार सितारा होटलों के लिए बार की लाइसेंस फीस रू0 4.00 लाख रखी जायेगी एवं पांच सितारा होटलों हेतु बार/क्लब बारों की फीस वित्तीय वर्ष 2004–2005 के अनुरूप रहेगी।

26. 1 अप्रैल से 30 सितम्बर तक दुकान खोलने के समय में एक घण्टे की वृद्धि कर दी जायेगी।

27. अन्य व्यवस्थायें, विगत वित्तीय वर्ष 2004–2005 के अनुरूप यथावत् रहेंगी।

28. उपरोक्त के कियान्वयन हेतु आबकारी आयुक्त द्वारा आवश्यकतानुसार शासन के अनुमोदन से संशोधित नियम उपबंधित किये जायेंगे।

वर्ष 2005–2006 हेतु देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन के सम्बन्ध में सामान्य निर्देश

समस्त जिलाधिकारी को सम्बोधित आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून का आदेश संख्याः10385–97 सात–लाइसेंस (30)/व्यवस्थापन/दे0–वि0म0/2005–06 दिनांक, मार्च, 2005

देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों के 01–4–2005 से 31–3–2006 तक के लिए व्यवस्थापन के सम्बन्ध में सामान्य निर्देश निम्नवत् दिये जा रहे हैं–

1. वर्ष 2005–06 के लिए घोषित आबकारी नीति के अन्तर्गत देशी मदिरा की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन जैसा कि अधिसूचना संख्या 314 दिनांक 3 मार्च, 2005 की मद सं0 1 से 3 में स्पष्ट किया गया है, लाइसेंस फीस एवं अधिभार (न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी) की राशि के आधार पर दुकान के राजस्व का निर्धारण विहित प्रकिया के अनुरूप निर्धारित किया जाना है। राजस्व निर्धारण में पर्याप्त सावधानी बरते जाने की आवश्यकता है। जिला आबकारी अधिकारी प्रत्येक दुकान के अनुज्ञापन शुल्क, अधिभार (न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी) एवं राजस्व का निर्धारण कर आपसे अनुमोदन प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

2. उपरोक्त प्रस्तर 1 के अनुसार जनपद की देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानवार निर्धारित लाइसेंस फीस एवं अधिभार (न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी) की सूची जिला आबकारी अधिकारी तथा कलेक्ट्रेट के नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु लगाई जायेगी।

3. आवेदन पत्र, शपथ पत्र व धरोहर धनराशि जो वार्षिक लाइसेन्स फीस का 10 प्रतिशत होगी जो बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर के साथ निर्धारित तिथियों (प्रथम चरण के आबंटन के लिए दिनांक 9–3–2003 से 11–3–2005, द्वितीय चरण के लिए दिनांक 17–3–2005 व 18–3–2005 था तृतीय चरण के आबंटन के लिए दिनांक 22–3–2005) में सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में आवेदक जमा करेंगे।

4. दुकानों के लिए आबंटन हेतु निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने होंगे, जो जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से भी आवेदन शुल्क के रूप में रू0 200.00 कैश या रुपये 200.00 का जिला आबकारी अधिकारी के नाम बैंक ड्राफ्ट जमा करके प्राप्त किया जा सकेगा। आवेदकों द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित निर्धारित प्रारूप में भी आवेदन किया जा सकेगा परन्तु ऐसे आवेदन पत्रों को जमा करते समय रू0 200.00 आवेदन शुल्क के रूप में जमा करना होगा जिसकी प्राप्ति रसीद जिला आबकारी अधिकारी से भी प्राप्त की जायेगी।

5. आवेदन पत्र के साथ आवेदित दुकान हेतु जिला आबकारी अधिकारी अथवा आबकारी आयुक्त के नाम निर्धारित धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर संलग्न करना अनिवार्य होगा। दुकान आबंटित हो जाने की दशा में यह धनराशि आवेदक द्वारा देय लाइसेंस फीस व प्रतिभूति की धनराशि में समायोजित होगी। असफल आवेदकों को धरोहर धनराशि वापस कर दी जायेगी।

6. आवेदन पत्र के साथ प्रत्येक आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में, जो जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है, पब्लिक नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र फोटो सहित दिया जाना अनिवार्य होगा। आवेदक द्वारा शपथ पत्र में उल्लिखित शर्तों का निर्धारित समय सीमा में पालन किया जाना आवश्यक होगा।

7. भांग की फुटकर बिक्री के किसी अनुज्ञापन का व्यवस्थापन नहीं किया जायेगा।

8. देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों का उपरोक्तानुसार राजस्व निर्धारित करके प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार करने के उपरान्त प्रत्येक दुकान के लिए अलग–अलग आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे। आवेदन पत्र गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल विकास निगम पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0, भूतपूर्व सैनिकों की पंजीकृत सहकारी समितियां, सहकारी संस्थाओं तथा निजी अनुज्ञापियों से प्राप्त किये जायेंगे। प्रत्येक दुकान के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों को एक पंजिका में पंजीकृत किया जायेगा। पंजिका के पंजीयन संख्या को आवेदन पत्र की रसीद में अंकित करते हुए आवेदक को यह रसीद उपलब्ध करा दी जायेगी तथा इन मूल रसीदों को पहचान पत्र मानकर आवेदक को लाटरी के लिए निर्धारित हाल/पंडाल में प्रवेश की अनुमति दी जा सकेगी।

9. गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल विकास निगम, पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0, भूतपूर्व सैनिकों की पंजीकृत सहकारी समितियों तथा सहकारी संस्थाओं को छोड़कर उपरोक्त प्रक्रिया में निजी अनुज्ञापी को देशी अथवा विदेशी मदिरा की जनपद में एक ही दुकान आबंटित की जायेगी।

10. जिला आबकारी अधिकारी प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की दुकानवार सूची तैयार कर जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण किया जायेगा। यदि आवेदन पत्र के साथ आवश्यक रूप से वांछनीय कोई अभिलेख आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है तो जिलाधिकारी द्वारा विवेक सम्मत निर्णय लेते हुए आवेदन पत्र को निरस्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

11. जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय आबंटन समिति का गठन किया जायेगा जिसमें जिला आबकारी अधिकारी एवं अन्य वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी जिसे जिलाधिकारी नामित करेंगे, की समिति गठित कर ली जायेगी, जो कि प्राप्त आवेदन पत्रों को, उनके समुचित परीक्षण एवं दुकानों

के नियमानुसार व्यवस्थापन के लिए उत्तरदायी होगी। जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य की सूचना फैक्स के द्वारा आबकारी आयुक्त को दी जायेगी।

12. यदि किसी दुकान के लिए निर्धारित राजस्व पर एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो दुकान के आबंटन के लिए सार्वजनिक लाटरी से अनुज्ञापी का चयन किया जायेगा।

13. लाटरी के जिला मुख्यालय पर किसी बड़े हाल की व्यवस्था की जाये यदि कोई हाल उपलब्ध न हो तो खुले मैदान में पंडाल लगवाकर लाटरी निकालने की व्यवस्था की जाये। लाटरी हेतु प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की दुकानवार सूचियां, सम्बन्धित दुकान को आबंटित कमांक, प्राप्त आवेदन पत्रों की कुल संख्या व आवेदकों के नाम आदि का जानकारी निष्पादन स्थल के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी तथा उन्हें सार्वजनिक रूप से माईक पर उद्घोषित भी किया जायेगा। लाटरी निकाले जाने सम्बन्धी कार्यवाही सभागार/पंडाल में कुछ ऊंचाई पर मंच बनाकर इस प्रकार सम्पादित की जायेगी कि पंडाल में उपस्थित सभी व्यक्ति लाटरी की कार्यवाही को भली भांति देख सकें, जिसमें लाटरी की कार्यवाही में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे।

14. दुकानों की लाटरी पहले विदेशी मदिरा से आरम्भ होगी। सबसे पहले अधिकतम वार्षिक राजस्व वाली दुकान के लिए लाटरी निकाली जायेगी और उसके बाद राजस्व के अवरोही कम (descending order) में यह विधि जारी रखी जायेगी। विदेशी मदिरा की दुकानों के लिए लाटरी सम्पन्न होने के बाद देशी मदिरा की दुकानों के लिए लाटरी आरम्भ की जायेगी और इसमें भी अधिकतम राजस्व वाली दुकानों से आरम्भ कर अवरोही कम में दुकानों की लाटरी निकाली जायेगी।

15. लाटरी निकाले जाने के लिए जिला आबकारी अधिकारी द्वारा 5x5 सेन्टीमीटर लम्बाई चौड़ाई की एक ही तरह की कागज की पर्चियां कम्प्यूटर से छपवाकर तैयार की जायेगी। इस पर्ची पर जिले की देशी व विदेशी मदिरा की दुकानों के लिए प्राप्त आवेदन पत्र की पंजीयन संख्या लिखी जायेगी तथा दुकान व आवेदक का नाम भी अंकित किया जायेगा। इन पर्चियों पर जिलाधिकारी द्वारा नामित किसी वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी व जिला आबकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे। जिलाधिकारी किसी एक दुकान के लिए सभी आवदकों की पर्चियों के लिखे भाग को अन्दर की ओर रखते हुए समान रूप से अलग–अलग मोड़कर किसी पारदर्शी पात्र में भली–भांति मिलाकर एक पर्ची पंडाल में उपस्थित किसी एक आवेदक से निकलवायेंगे। यह पर्ची सार्वजनिक रूप से खोलकर सभी उपस्थित व्यक्तियों को दिखाई जायेगी। लाटरी में चयनित व्यक्ति की पर्ची को एक पंजी जिसमें दुकान का अन्य विवरण पहले से अंकित होगा के समक्ष चस्पा किया जायेगा एवं पर्ची व पंजी पर चयनित व्यक्ति के हस्ताक्षर भी करवाये जायेंगे। जिस व्यक्ति के नाम पर्ची खुलेगी उनके लिए भी मौके पर ही इस आशय का एक आदेश भी निर्गत किया जायेगा कि अमुक दुकान

की लाटरी उसके नाम निकली है। सफल आवेदक से मौके पर ही निर्धारित अनुज्ञापन की फीस की समस्त धनराशि को तत्काल जमा करवाया जायेगा। प्रतिभूति धनराशि की 50 प्रतिशत राशि सात दिन के भीतर एवं अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि के बराबर कैश अथवा बैंक गारण्टी दुकान आबंटन की तिथि से तीस दिवस के अन्दर आवश्यक रूप से नियमानुसार जमा कर ली जाये। प्रतिभूति की यह धनराशि राजकोष में अथवा किसी भी अधिसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट, जो जिला आबकारी अधिकारी/आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल को देय हो, के द्वारा जमा करायी जायेगी।

16. यदि चयनित आवेदक नियमानुसार आवश्यक लाइसेंस फीस की धनराशि तत्काल जमा नहीं करता/निर्धारित औपचारिकताएं पूरी नहीं करता अथवा दुकान के लिए उपयुक्त व्यवस्था करने में असफल रहता है तो उसका चयन निरस्त समझा जायेगा और उसकी धरोहर धनराशि राज्य के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी तथा लाइसेंसिग प्राधिकारी आबंटन निरस्त कर दुकान के पुनर्व्यवस्थापन की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होंगे।

17. दुकानों के व्यवस्थापन की कार्यवाही 31–3–2005 तक इस प्रकार पूर्ण करा ली जाय ताकि दुकानों का संचालन 01–4–2005 से प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जा सके। दुकानवार व्यवस्थापन दौरान पारदर्शिता की दृष्टि से दुकान विशेष के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण अनुज्ञापन स्वीकृत तथा लाटरी की दशा में आवेदकों के नाम/संख्या जिनके मध्य लाटरी की जा रही है, आदि सूचनायें मौके पर ही ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से उद्घोषित की जायें और प्रत्येक अगली दुकान के सम्बन्ध में ये औपचारिकतायें पूर्ण करने से पूर्व पिछली कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रस्तुत की जाने वाली समस्त जिज्ञासाओं का अवश्य समाधान कर दिया जाये।

18. आवेदक/अनुज्ञापी को यह स्पष्ट कर दिया जाये कि उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अथवा शपथ पत्र उल्लिखित कोई भी तथ्य अथवा सूचना असत्य पाये जाने पर उसका प्रार्थना पत्र निरस्त किया जा सकता है व धरोहर धनराशि राज्य के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

19. अपने जनपद के बकायेदारों की सूची बना ली जाये। अन्य जनपदों से प्राप्त आबकारी राजस्व के बकायेदारों की सूची अलग से प्रेषित की जा रही है। यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि किसी बकायेदार को अनुज्ञापन न दिया जाये।

20. दुकानों के व्यवस्थापन के उपरान्त व्यवस्थापित तथा अव्यवस्थापित दुकानों का वितरण प्रत्येक चरण की समाप्ति के अगले दिन निर्धारित प्रारूप में भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय तथा व्यवस्थापन की प्रकिया में विवर्जित किये गये व्यक्तियों का विवरण भी निर्धारित प्रारूप में भेजा जाना सुनिश्चित किया जाये।

21. दुकानों के व्यवस्थापन के सम्बन्ध में कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल, डांडा लखौंड, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है जहां पर अपर आबकारी आयुक्त/संयुक्त आबकारी आयुक्त, मुख्यालय एवं उप आबकारी आयुक्त से यथावश्यक निर्देश/सूचनायें/जानकारियां प्राप्त की जा सकती है। नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नम्बर 2608087, 2608091 तथा फैक्स नम्बर 2608087 है।

शासन की आबकारी नीति को सफल बनाने हेतु आप कृपया अपने नेतृत्व में देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों का व्यवस्थापन सफलतापूर्वक निर्धारित समय के अन्तर्गत सम्पादित कराने का कष्ट करें।

लाटरी पर्ची का प्रारूप
साईज 5X5 से0मी0

दे0/वि0म0 की दु0 का नाम ....
आवेदन पत्र की पंजीयन संख्या....................................
आवेदक का नाम ....

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर
जि0आब0अधि0
नामित अधिकारी

वर्ष 2005–2006 के लिए देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन का कार्यक्रम

(समस्त जिलाधिकारी को संबोधित आबकारी आयुक्त) उत्तरांचल का आदेश संख्या 10358–83/सात लाइसेंस व्यवस्थापन/2005–06 दिनांक मार्च, 3, 2005)

आबकारी विभाग की अधिसूचना संख्या 314/XXII/2005/09/2005 दिनांक 3–3–2005 द्वारा घोषित वित्तीय वर्ष 2005–06 के लिए आबकारी नीति के अनुसार दुकानवार 'राजस्व' निर्धारित करने के पश्चात् देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों के दिनांक 1–4–2005 से 31–3–2006 तक के व्यवस्थापन के लिए निम्न प्रकार व्यवस्थापन किया जायेगा–

1. **प्रथम चरण**–व्यापक प्रचार–प्रसार करके 'निर्धारित राजस्व' पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। आवेदन पत्र दिनांक 9–3–2005 से 11–3–2005 तक तक कार्यालय दिवसों में प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा किये जा सकेंगे। प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर दिनांक 14–3–2005 को जिलाधिकारी के समक्ष संबंधित जिला कलेक्ट्रेट परिसर में दुकानों का आबंटन किया जायेगा। 'निर्धारित राजस्व' पर यदि एक दुकान के लिए एक ही आवेदन पत्र प्राप्त हो, उस आवेदक को दुकान आबंटित कर दी जायेगी तथा एक से अधिक आवेदकों की दशा में दुकानों का आबंटन लाटरी के माध्यम से किया जायेगा।
2. **द्वितीय चरण**–जो दुकानें दिनांक 14–3–2005 के आबंटन में व्यवस्थापित नहीं हो पायेगी उनकी सूची दिनांक 16–3–2005 को सम्बन्धित जिला कलेक्ट्रेट एवं जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जायेगी। सूची में अंकित उन दुकानों के व्यवस्थापन हेतु पुनः व्यापक प्रचार–प्रसार करके आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाय। आवेदन पत्र दिनांक 17–3–2005 व 18–3–2005 को प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त किये जायेंगे तथा उपरोक्त प्रथम चरण की प्रकियानुसार दिनांक 20–3–2005 को आबंटन किया जायेगा।
3. **तृतीय चरण**–जो दुकानें दिनांक 20–3–2005 के आबंटन में भी व्यवस्थापित नहीं हो पायेगी। उनके व्यवस्थापन हेतु पुनः व्यापार प्रचार–प्रसार करके दिनांक 22–3–2005 को प्रातः 10 बजे से सायंकाल 5 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित करके प्रथम चरण में वर्णित प्रकिया के अनुसार दिनांक 23–3–2005 को आबंटित किया जाय।

प्रत्येक चरण की समाप्ति के पश्चात् आबंटन की पूर्ण स्थिति कमशः दिनांक 15–3–2005, 21–3–2005 एवं 24–3–2005 की सायं 5.00 बजे तक अपर आबकारी आयुक्त आबकारी मुख्यालय देहरादून को फैक्स सं0 0135–2608087 पर भेजना सुनिश्चित किया जाये।

आवेदकों की पात्रता की शर्तें एवं दुकान आबंटन प्रकिया संलग्न प्रपत्र/के अनुसार रहेगी। आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने हेतु समुचित प्रचार/प्रसार किया जाये एवं प्रचार विख्यात समाचार पत्रों के माध्यम से कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

वर्ष 2005–2006 की शीरा नीति

शासनादेश संख्या:139/XXXIII/06/87/2005 दिनांक जनवरी 27, 2006

1. गत वर्ष की शीरा नीति के अनुरूप शीरा वर्ष 2005–06 में उत्पादित शीरे में से 10 प्रतिशत शीरा उत्तरांचल के देशी शराब निर्माताओं को पूर्व वर्ष के प्रतिबन्धों के अधीन आपूर्ति हेतु आरक्षित रखा जायेगा।
2. गत वर्ष की शीरा नीति के अनुरूप शीरा वर्ष 2005–06 में भी प्रत्येक चीनी मिल को उनके द्वारा उत्पादित शीरे के 20 प्रतिशत अंश को प्रदेश से बाहर निर्यात करने की छूट रहेगी।
3. गत वर्ष की शीरा नीति के अनुरूप शीरा वर्ष 2005–06 में कुल उत्पादित शीरे का 70 प्रतिशत भाग उत्तरांचल की इकाईयों एवं उत्तर प्रदेश की शीरा/अल्कोहल आधारित रासायनिक उद्योगों को बिकी हेतु उपलब्ध रहेगा।
4. उत्तरांचल राज्य के अन्तर्गत स्थित चीनी मिलों के द्वारा उत्पादित शीरा उत्तरांचल के अन्तर्गत तथा उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत स्थित शीरा आधारित रासायनिक उद्योगों को विकय किये जाने हेतु शीरे पर प्रशासनिक शुल्क की वर्तमान प्रचलित दर रू0 8 मात्र प्रति कुन्टल के स्थान पर रू0 11/– मात्र प्रति कुन्टल की दर से वसूल की जायेगी तथा अन्य प्रदेश के शीरा आधारित उद्योगों द्वारा शीरा कय किये जाने पर वर्तमान प्रचलित दर रू0 20/– मात्र प्रति कुन्टल के स्थान पर रू0 15/– मात्र प्रति कुन्टल की दर से प्रशासनिक प्रभार देय होगा।
5. प्रदेश में उत्पादित निर्यात मद का शीरा चीनी मिलें अगले शीरा वर्ष के माह जनवरी तक बेचने में यदि असफल रहती है तो इस मद के शीरे को प्रदेश के रासायनिक उद्योगों को दिया जा सकेगा, जिस पर प्रशासनिक प्रभार रू0 11/– मात्र की दर से ही देय होगा।
6. शीरा वर्ष 2005–06 के लिए घोषित नीति से सम्बन्धित अन्य सभी शर्तों एवं प्रतिबन्ध शीरा वर्ष 2004–05 के अनुसार प्रभावी रहेंगे तथा अगले शीरा वर्ष में यथावत तब तक प्रभावी रहेगी, जब तक कि वर्ष 2006–07 के लिए शीरा नीति की घोषणा नहीं कर दी जाती है।

शासनादेश संख्या:220/XXXIII/06/87/2005 दिनांक फरवरी 22, 2006

(स्पष्टीकरण)

1. शीरा वर्ष 2004–05 का शासनादेश दिनांक 11–03–2005 को जारी हुई थी, के बिन्दु–4 में यह व्यवस्थ थी कि अगले शीरा वर्ष में यथावत तब तक रहेगी, जब तक कि वर्ष 2005–06 के लिए शीरा नीति की घोषणा नहीं कर दी जाती है।
2. शीरा वर्ष 2005–06 के लिए घोषित शीरा नीति का शासनादेश जारी होने के दिनांक से प्रभावी होगा।
3. शीरा वर्ष 2005–06 के प्रस्तर–5 में यह व्यवस्था है कि प्रदेश में उत्पादित निर्यात का शीरा चीनी मिलें अगले वर्ष के माह जनवरी तक बेचने में यदि असफल रहती है तो इस मद के शीरे को प्रदेश के रासायनिक उद्योगों को दिया जा सकेगा, जिस पर प्रशासनिक प्रभार रू0 11/– मात्र की दर से ही देय होगा। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए उल्लेख करना है कि अगले शीरा वर्ष का आशय शीरा वर्ष 2006–07 से है और शीरा वर्ष 2005–06 का शासनादेश ही दिनांक 27 जनवरी, 2006 को किया गया है।

वर्ष 2006–07 की शीरा नीति

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड,देहरादून।

संख्या 13605/दो उत्पादन/शीरा नीति–24/2006–07/दिनांकः जनवरी 17, 2007

आदेश

शासनादेश संख्या 16 /XXIII/2007/48/2006 देहरादूनःदिनांक,05 जनवरी, 2007 के अन्तर्गत शीरा वर्ष 2006–07 (01 नवम्बर, 2006 से 31 अक्टूबर, 2007 तक) में प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा उत्पादित शीरे के सम्बन्ध में नीति निर्धारण हेतु शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिया गया है :–

1. शीरा वर्ष 2006–07 में उत्पादित शीरे में से 10 प्रतिशत शीरा उत्तरांचल के देशी शराब निर्माताओं को आपूर्ति हेतु पूर्व वर्ष के प्रतिबन्धों के अधीन आरक्षित रखा जायेगा।
2. वर्ष 2006–07 में भी प्रत्येक चीनी मिल को उनके द्वारा उत्पादित शीरे के 20 प्रतिशत अंश को प्रदेश से बाहर निर्यात करने की छूट होगी।
3. गत वर्ष की शीरा नीति के अनुरूप शीरा वर्ष 2006–07 में भी कुल उत्पादित शीरे का 70 प्रतिशत भाग उत्तरांचल की औद्योगिक एवं रासायनिक इकाईयों एवं उत्तर प्रदेश की शीरा/अल्कोहल आधारित रासायनिक उद्योगों को बिक्री हेतु उपलब्ध रहेगा।
4. उत्तरांचल राज्य के अन्तर्गत स्थित चीनी मिलों के द्वारा उत्पादित शीरा उत्तरांचल के अन्तर्गत तथा उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत स्थित शीरा आधारित रासायनिक उद्योगों को विक्रय किये जाने वाले शीरे पर प्रशासनिक शुल्क की वर्तमान प्रचलित दर रू0 11/–मात्र प्रति कुन्टल की दर से वसूल की जायेगी तथा अन्य प्रदेश के शीरा आधारित उद्योगों द्वारा शीरा क्रय किये जाने पर वर्तमान प्रचलित दर रू0 15/– मात्र प्रति कुन्टल की दर से प्रशासनिक प्रभार देय होगा।
5. यदि आसवनियों द्वारा एक माह के अन्दर चीनी मिलों से शीरा नहीं उठाया जाता है तो निर्धारित समय के उपरान्त चीनी मिलों को यह अधिकार दे दिया जायेगा कि वे ऐसे शीरे को खुले बाजार में बेचने हेतु स्वतंत्र होगें।
6. शीरा वर्ष 2006–07 के लिए घोषित नीति,शासनादेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।
7. शीरा वर्ष 2006–07 के लिए घोषित नीति से सम्बन्धित अन्य सभी शर्ते एवं प्रतिबन्ध शीरा वर्ष 2005–06 के अनुसार प्रभावी रहेगें तथा अगले शीरा वर्ष 2007–08 में यथावत तब तक प्रभावी रहेगी, जब तक कि वर्ष 2007–08 के लिए शीरा नीति की घोषणा नहीं कर दी जाती है।

अतः शासन के उपरोक्त निर्णयानुसार उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

ह0–
आबकारी आयुक्त
उत्तराखण्ड।

संख्या 13606–13659 /दो उत्पादन/शीरा नीति–24/2005–06/तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव,आबकारी,उत्तरांचल शासन,देहरादून के पत्र संख्या 16/XXIII/2007/ 48/2006 देहरादूनःदिनांक,05 जनवरी, 2007 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त जिलाधिकारी ,उत्तरांचल।

कमशः 2 पर

3. समस्त उप आबकारी आयुक्त,मुख्यालय को अनुपालनार्थ।
4. वित्त अधिकारी,मुख्यालय को अनुपालनार्थ।
5. समस्त जिला आबकारी अधिकारी,उत्तरांचल को अनुपालनार्थ।
6. समस्त प्रभारी उप आबकारी निरीक्षक चीनी मिलें/प्रभारी अधिकारी आसवनियां ,उत्तरांचल को अनुपालनार्थ।
7. समस्त आसवक, आसवनियां उत्तरांचल को अनुपालनार्थ।
8. समस्त अध्यासी/प्रधान प्रबन्धक,चीनी मिलें उत्तरांचल को अनुपालनार्थ।

ह0–
आबकारी आयुक्त
उत्तराखण्ड।

नोट– शीरा नीति शीरा वर्ष 2006–07 जो शीरा वर्ष 2007–08 एवं शीरा वर्ष 2008–09 में भी वर्तमान प्रभावी है ।

कार्यालय आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्या 24–39/शीरा परामर्श समिति गठन/ दिनांक फरवरी, 28 2008

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण अधिनियम–1964 (उत्तराखण्ड में रूपान्तरित एवं अनुकूलित) की धारा 3 के अन्तर्गत शीरा परामर्श समिति का गठन शासनादेश सं0 01/XXIII/07/53/2007 दिनांक 13.02.2008 के अन्तर्गत निम्न प्रकार किया गया है:–

(1) **अध्यक्ष,**
आबकारी आयुक्त (नियन्त्रक)
उत्तराखण्ड, देहरादून।

(2) **पदेन सदस्य**
उप आबकारी आयुक्त, शीरा
उत्तराखण्ड, देहरादून।

(3) **पदेन सदस्य**
उद्योग निदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
या
उनके द्वारा नामित अधिकारी, जो उपनिदेशक स्तर से निम्न न हो।

(4) **पदेन सदस्य**
गन्ना आयुक्त, उत्तराखण्ड
या
उनके द्वारा नामित अधिकारी, जो उपायुक्त स्तर से निम्न न हो।

(5) **पदेन सदस्य**
प्रबन्ध निदशक,
उत्तराखण्ड को ऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज फेडरेशन लि0, देहरादून।

(6) **सदस्य**
श्री एस0एम0 मित्तल,
मैं0 राय बहादुर नारायण सिंह शुगर मिल्स लि0,
लक्सर, जनपद हरिद्वार

(7) **सदस्य**
श्री एस0के0 भटनागर, वाईस प्रेसीडेन्ट,
मै0 काशीपुर शुगर मिल्स लि0,
काशीपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर।

(8) **सदस्य**
श्री उमराव सिंह, मैनेजिंग डाईरेक्टर,,
मै0 लक्ष्मी शुगर मिल्स लिमिटेड,
इकबालपुर, जनपद हरिद्वार

(9) **सदस्य**
श्री रामेश्वर हवेलिया,
मै0 दूनवैली आसवनी, देहरादून।

(10) **सदस्य**
श्री आई0बी0 लाल,
मै0 इण्डिया ग्लाईकोल्स लिमिटेड,
काशीपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर

(11) **सदस्य**
श्री सी0एम0 शर्मा, लाईजेनिंग मैनेजर,
मै0 इण्डिया ग्लाईकोल्स लिमिटेड
काशीपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर।

(12) **सदस्य**
श्री योगेश लोहिया, डाइरेक्टर,
मै0 जगदम्बा लिक्यूफाईड स्टील लिमिटेड,
रायपुर (भगवानपुर), रूड़की,
जनपद हरिद्वार।

(13) **सदस्य**
श्री प्रेम चन्द्र शर्मा, जनरल मैनेजर,
ऑचल कैटिल फीड फैक्ट्री,
किच्छा बाई पास रोड, रूद्रपुर,
जनपद ऊधमसिंह नगर।

क्रमशः..........2

(2)

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया शीरा नीति वर्ष 2007–08 को सफल बनाने हेतु विगत अनुभवों व वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए शीरा संग्रहण / संरक्षण / सम्भरण / वितरण / बिक्री आदि के सम्बन्ध में अपने लिखित सुझाव / प्रस्ताव के साथ समिति की बैठक दिनांक 01.03.08, प्रातः 11:30 बजे, मुख्यालय आबकारी आयुक्त, देहरादून में उपस्थित होने का कष्ट करें।

ह0–

(टी0 पी0 सिंह)
उप आबकारी आयुक्त,
शीरा उत्पादन एवं वितरण
कृते आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 24–39 /शीरा परामर्श समिति गठन/ दिनांक फरवरी, 2008

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. निजी सचिव, आबकारी आयुक्त (नियंत्रक), उत्तराखण्ड।
2. संयुक्त आबकारी आयुक्त/समस्त उप आबकारी आयुक्त, मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. गन्ना आयुक्त, उत्तराखण्ड, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर।
4. उद्योग निदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड को–ऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज फेडरेशन लि0, देहरादून।
6. श्री एम0एम0 मित्तल, मै0 राय बहादुर नारायण सिंह शुगर मिल्स लि0, लक्सर, जनपद हरिद्वार।
7. श्री एस0के0 भटनागर, वाईस प्रेसीडेन्ट, मै0 काशीपुर शुगर मिल्स लि0, काशीपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर।
8. श्री उमराव सिंह, मैनेजिंग डाईरेक्टर, मै0 लक्ष्मी शुगर मिल्स लिमिटेड, इकबालपुर, जनपद हरिद्वार।
9. श्री रामेश्वर हवेलिया, मै0 दूनवैली आसवनी, देहरादून।
10. श्री आई0बी0 लाल, मै0 इण्डिया ग्लाईकोल्स लिमिटेड, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर।
11. श्री सी0एम0 शर्मा, मै0 इण्डिया ग्लाईकोल्स लिमिटेड, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर।
12. श्री योगेश लोहिया, डाइरेक्टर, मै0 जगदम्बा लिक्यूफाईड स्टील लिमिटेड, रायपुर (भगवानपुर), रूड़की, जनपद हरिद्वार।
13. श्री प्रेम चन्द्र, जनरल मैनेजर, ऑचल कैटिल फीड फैक्ट्री, किच्छा बाईपास रोड, रूद्रपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर।

(टी0 पी0 सिंह)
उप आबकारी आयुक्त,
शीरा उत्पादन एवं वितरण
कृते आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्या /शीरा परामर्श समिति गठन/ दिनांक फरवरी, 2008

शुद्धि पत्र

उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण अधिनियम–1964 (उत्तराखण्ड में रूपान्तरित एवं अनुकूलित) की धारा 3 के अन्तर्गत शीरा परामर्श समिति का गठन शासनादेश संख्या 01/XXIII/07/53/2007 दिनांक 13 फरवरी, 2006 के अन्तर्गत किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में शासन के शुद्धि पत्र संख्या 99/XXIII/08/53/2008, दिनांक 26 फरवरी, 2008 के अनुसार उप आबकारी आयुक्त, शीरा के सम्मुख "पदेन संदस्य" के स्थान पर "**पदेन सदस्य सचिव**" पढ़ा जाये।

(टी० पी० सिंह)
उप आबकारी आयुक्त,
शीरा उत्पादन एवं वितरण
कृते आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या /शीरा परामर्श समिति गठन/ तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. निजी सचिव, आबकारी आयुक्त (नियंत्रक), उत्तराखण्ड।
2. संयुक्त आबकारी आयुक्त/समस्त उप आबकारी आयुक्त, मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. गन्ना आयुक्त, उत्तराखण्ड, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर।
4. उद्योग निदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड को–ऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज फेडरेशन लि0, देहरादून।
6. श्री एम0एम0 मित्तल, मै0 राय बहादुर नारायण सिंह शुगर मिल्स लि0, लक्सर, जनपद हरिद्वार।
7. श्री एस0के0 भटनागर, वाईस प्रेसीडेन्ट, मै0 काशीपुर शुगर मिल्स लि0, काशीपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर।
8. श्री उमराव सिंह, मैनेजिंग डाईरेक्टर, मै0 लक्ष्मी शुगर मिल्स लिमिटेड, इकबालपुर, जनपद हरिद्वार।
9. श्री रामेश्वर हवेलिया, मै0 दूनवैली आसवनी, देहरादून।
10. श्री आई0बी0 लाल, मै0 इण्डिया ग्लाईकोल्स लिमिटेड, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर।
11. श्री सी0एम0 शर्मा, मै0 इण्डिया ग्लाईकोल्स लिमिटेड, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर।
12. श्री योगेश लोहिया, डाइरेक्टर, मै0 जगदम्बा लिक्यूफाईड स्टील लिमिटेड, रायपुर (भगवानपुर), रूड़की, जनपद हरिद्वार।
13. श्री प्रेम चन्द्र, जनरल मैनेजर, ऑचल कैटिल फीड फैक्ट्री, किच्छा बाईपास रोड, रूद्रपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर।

(टी० पी० सिंह)
उप आबकारी आयुक्त,
शीरा उत्पादन एवं वितरण
कृते आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

2006–07 के लिए आबकारी नीति

संख्या– 370/XXIII /06/115/2005 देहरादून : दिनांक 06 मार्च, 2006

अधिसूचना

श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) (उत्तरांचल में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के साथ पठित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तरांचल राज्य में देशी एवं विदेशी मदिरा एवं बियर की फुटकर बिक्री को विनियमित करने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2006–07 के लिए निम्नवत् आबकारी नीति घोषित करते हैं :–

यह नीति दिनांक 1 अप्रैल, 2006 से 31 मार्च, 2007 तक प्रभावी रहेगी।

1. **लाईसेन्स फीस का निर्धारण**:–वित्तीय वर्ष 2006–07 की लाईसेन्स फीस के निर्धारण हेतु वित्तीय वर्ष 2005–06 के लिये निर्धारित देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों की श्रेणी देशी मदिरा के लिये बल्क लीटर में एवं विदेशी मदिरा के लिये बोतलो में वित्तीय वर्ष 2005–06 की भांति स्लैबवार यथावत रखी जायेगी तथा प्रत्येक स्लैब के लिये निर्धारित लाईसेन्स फीस मे 15 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी एवं इसे एक हजार के पूर्णांक में (राउण्ड अप) करते हुए निर्धारित की जायेगी।

2. **न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी का निर्धारण** :– देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी में वर्ष 2006–07 में निम्नानुसार वृद्धि की जायेगी–

क0स0	वर्ष 2005–06 हेतु प्राप्त आवेदन पत्रो की संख्या	वृद्धि लक्ष्य
1	जिन दुकानो पर 1400 से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए।	20 प्रतिशत
2	जिन दुकानो पर 1000 या उससे अधिक परन्तु 1400 से कम आवेदन पत्र प्राप्त हुए ।	19 प्रतिशत
3	जिन दुकानों पर 500 या उससे अधिक परन्तु 1000 से कम आवेदन पत्र प्राप्त हुए ।	18 प्रतिशत
4	जिन दुकानों पर 200 या उससे अधिक परन्तु 500 से कम आवेदन पत्र प्राप्त हुए ।	17 प्रतिशत
5	जिन दुकानों पर 50 या उससे अधिक परन्तु 200 से कम आवेदन पत्र प्राप्त हुए ।	16 प्रतिशत
6	जिन दुकानों पर 50 से कम आवेदन पत्र प्राप्त हुए।	15 प्रतिशत

वर्ष 2005–06 में दुकान पर अतिरिक्त उठान की राशि को दुकान के वार्षिक निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी में जोड़कर वृद्धि की गणना की जायेगी।

3. **राजस्व निर्धारण :–** प्रस्तावित नीति के उपरोक्त बिन्दु 2 के अनुसार दुकानवार निर्धारित किये गये न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी तथा उपरोक्त बिन्दु 1 के अनुसार निर्धारित लाईसेन्स फीस की राशि को जोड़कर दुकानवार राजस्व की राशि का आंगणन किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान दुकानवार निर्धारित न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि के 10 प्रतिशत तक अतिरिक्त उठान पर अतिरिक्त लाईसेन्स फीस की छूट प्रदान की जायेगी परन्तु 10 प्रतिशत से अधिक मदिरा का उठान करने पर यदि कोई दुकान लाईसेन्स फीस के अगले स्लैब में आ जाती है, तो उसे बढ़ी दर से लाईसेन्स फीस देनी होगी।

4. **देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों के राजस्व का निर्धारण:–** बिन्दु 1,2 व 3 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार दुकानवार राजस्व को जोड़ते हुए जनपद का वर्ष 2006–07 हेतु राजस्व निर्धारित किया जायेगा।

5. **देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का आवंटन:–** उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार दुकानवार राजस्व निर्धारित हो जाने के उपरान्त जिलाधिकारियों द्वारा गढ़वाल मण्डल विकास निगम, कुमायूँ मण्डल विकास निगम, पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0, भूतपूर्व सैनिकों की पंजीकृत सहकारी समितियों, सहकारी संस्थाओं तथा निजी आवेदकों से निर्धारित राजस्व पर देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान चलाने हेतु निर्धारित प्रारूप, (जिसे सम्बन्धित क्षेत्र के दो प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जायेगा,) पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ 200/रू0 की फीस नगद अथवा किसी अनुसूचित अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट प्रकिया शुल्क के रूप में सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के नाम से जमा कराना होगा, जो प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप में नही होंगे उन्हे निरस्त कर दिया जायेगा। जहां एक दुकान के लिये एक ही आवेदक हो उसे दुकान आवंटित की जा सकेगी तथा एक से अधिक आवेदकों की दशा में लाटरी द्वारा आवंटन किया जायेगा। देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन हेतु उपरोक्त प्रकिया तब तक अपनाई जायेगी, जब तक कि समस्त दुकानें व्यवस्थापित नहीं हो जाती हैं।

परन्तु यदि वित्तीय वर्ष 2006–07 की किसी अवधि में दुकान व्यवस्थापन की प्रक्रिया में समय लगता है तो व्यवस्थापन की अवधि में दुकान दैनिक आधार पर चलायी जायेगी। इसके लिये भूतपूर्व सैनिकों को उनके द्वारा आवेदन करने पर निर्धारित राजस्व के सापेक्ष दैनिक मूल्य पर दुकान संचालित करने की अनुमति प्रदान किये जाने पर भी विचार किया जा सकेगा।

परन्तु यह और कि उपरोक्त दोनों निगमों, पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0,

भूतपूर्व सैनिकों की पंजीकृत सहकारी समितियों, सहकारी संस्थाओं को छोड़कर उपरोक्त प्रक्रिया में निजी अनुज्ञापी को एक जनपद में देशी एवं विदेशी मदिरा की एक से अधिक दुकान आवंटित किये जाने पर विचार नहीं किया जायेगा, अर्थात देशी मदिरा अथवा विदेशी मदिरा में से केवल एक ही दुकान आवंटित की जायेगी।

परन्तु यह भी कि यदि उपरोक्त प्रकिया में कोई देशी या विदेशी मदिरा की दुकान अव्यवस्थापित रह जाती है तो उनके व्यवस्थापन के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त द्वारा शासन के अनुमोदनोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।

6. **पात्रताः–** देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में पात्रता की शर्तें वित्तीय वर्ष 2004–05 के अनुरूप होंगी।

अनुज्ञापी कों दुकान आवंटिंत होने के तीस दिन के भीतर जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण– पत्र तथा तीन माह के भीतर हैसियत प्रमाण–पत्र लाईसेसिंग प्राधिकारी(कलक्टर) के पास प्रस्तुत करना होगा। पावर आफ अटार्नी के आधार पर दुकान संचालित करने की अनुमति दिये जाने पर विचार नहीं किया जायेगा।

7. **देशी एवं विदेशी मदिरा की निकासी में न्यूनतम प्रत्याभूत डयूटी की गणनाः–** निकासी हेतु वर्ष 2006–07 के लिये निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि के विपरीत देशी मदिरा की प्रति बल्क लीटर तथा विदेशी मदिरा की प्रति बोतल न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि के आधार पर दुकानवार मदिरा की निकासी प्राप्त की जा सकेगी।

8. **देशी एवं विदेशी मदिरा पर उत्पाद शुल्क की दरः–** विदेशी मदिरा पर संदेय उत्पाद शुल्क की दर रू0 55.00 प्रति अल्कोहलिक लीटर होगी। देशी मदिरा (36वी0 / वी0 तीव्रता) पर डयूटी गत वर्ष के समान रू0 70.00 प्रति बल्क लीटर रहेगी।

9. **विदेशी मदिरा की निकासी पर न्यूनतम प्रत्याभूत डयूटी की गणनाः–**

विदेशी मदिरा की निकासी पर न्यूनतम प्रत्याभूत डयूटी की गणना हेतु दरें निम्न प्रकार निर्धारित की जाती हैं –

1.	रू0 22.00 प्रति बोतल तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 55.00
2.	रू0 22.01 से रू0 35.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 65.00
3.	रू0 35.01 से रू0 55.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 75.00
4.	रू0 55.01 से रू0 75.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 85.00
5.	रू0 75.01 से रू0 150.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 100.00
6	रू0 150.01 से अधिक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0110.00

10. **सैन्य कैन्टीनों द्वारा बिकी पर डयूटी तथा एसेस्मेंट फीस की दरः–** सैन्य कैन्टीनों की व्यवस्था गत वर्ष के अनुरूप रहेंगी।

11. **मदिरा का विकय मूल्यः–** वित्तीय वर्ष 2005–06 की भांति मदिरा के विकय मूल्य के परिप्रेक्ष्य में अवांछनीय प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति को नियंत्रित किया जायेगा । अवांछनीय प्रतिस्पर्धा की स्थिति में अनुज्ञापन निरस्त किया जा सकेगा।

12. **विदेशी मदिरा के थोक (एफ0एल0–2) अनुज्ञापनः–**वित्तीय वर्ष 2006–07 में गढ़वाल मण्डल में गढ़वाल मण्डल विकास निगम एवं कुमायूँ मण्डल में कुमायूँ मण्डल विकास निगम के साथ–साथ दोनों मण्डलों के जनपदों में पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0 को भी आवेदन करने पर एफ0एल0–2 अनुज्ञापन प्रदान किया जायेगा किन्तु एफ0एल0–2 के स्तर पर लिया जाने वाला लाभांश गत वर्ष आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

एफ0एल0–2 के अन्तर्गत 500 एम0एल0 एवं 330 एम0एल0 के पैक में भरी बियर की बिक्री की अनुमति भी दी जायेगी। विदेशी मदिरा भी 90 एम0एल0 के पैक में बेची जा सकेगी।

वर्ष 2006–07 हेतु विभिन्न जनपदों के एफ0एल0–2 अनुज्ञापनों की लाईसेन्स फीस को उनकी विदेशी मदिरा की खपत के आधार पर पुनः निर्धारित किया जोयगा।

सबसे कम प्रति बोतल न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की विदेशी मदिरा को प्रदेश के बाहर से आयात करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

इसके अतिरिक्त प्रदेश के बाहर के विदेशी मदिरा के निर्माता विदेशी मदिरा के केवल अपनी आसवनी के विदेशी मदिरा के ब्रान्डस ही उत्तरांचल स्थित अपने बाण्ड लाईसेन्सों के माध्यम से उत्तरांचल में बेच सकेंगे। यदि कोई निर्माता किसी अन्य आसवनी/निर्माता के ब्रान्डस की बाटलिंग अपनी ईकाई में करता है तो दूसरे विनिर्माता के इन ब्रान्डस को अपने बाण्ड से बेचने की अनुमति ऐसे बाण्ड धारक निर्माता को नहीं दी जायेगी। इसके लिये उत्पादकवार अलग से बाण्ड लाईसेन्स लेना होगा।

13. **गढ़वाल मण्डल के पांच जनपदों में देशी मदिरा की दुकानों का संचालनः–** गढ़वाल मण्डल के पांच जनपदों पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी व रूद्रप्रयाग में वित्तीय वर्ष 2005–06 की भांति केवल विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें ही संचालित किये जायेंगे तथा इन जनपदों में फुटकर दुकानों से विदेशी मदिरा की पूर्व में जारी परमिट से बिक्री की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जायेगा।

14. **जनपदों में दुकान का स्थान परिवर्तन :–** जिलाधिकारियों द्वारा दुकान रहित स्थानों में स्वविवेकानुसार दुकान खोलने के निर्णय लिये जा सकेंगें परन्तु दुकानों को खोलने से पूर्व दुकान का राजस्व एवं दुकान खोलने के आधार सहित आबकारी आयुक्त का पूर्वानुमोदन प्राप्त

करना आवश्यक होगा। स्थान परिवर्तन की जाने वाली दुकान का राजस्व, जनपद की अन्य दुकानों के राजस्व के अतिरिक्त होगा।

15. जनपदों में देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों को बन्द करने के सम्बन्ध में भी जिलाधिकारियों को जनपद की आवश्यकतानुसार स्वविवेकानुसार निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया जायेगा। ऐसी स्थिति में न तो सम्बन्धित जनपद का आवंटित राजस्व कम होगा और न ही क्षेत्र दुकान रहित होगा। जनपद की सीमान्तर्गत दुकान किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित किया जाना अपेक्षित हो तो इस सम्बन्ध में भी जिलाधिकारी स्वविवेकानुसार आबकारी अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्णय ले सकेगें परन्तु ऐसी स्थिति में किसी दुकान के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा कोई क्षेत्र दुकान रहित जोन नहीं हो सकेगा।

16. **बार एवं क्लब बार लाईसेन्सः–** बार अनुज्ञापन के फलस्वरूप दी जाने वाली विदेशी मदिरा की निकासी पर डयूटी की दर निम्नानुसार होगीः–

1.	रू0 22.00 प्रति बोतल तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 55.00
2.	रू0 22.01 या उससे अधिक रू0 35.00 तक प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 65.00
3.	रू0 35.01 या उससे अधिक प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 80.00

होटल एवं रेस्त्राओं के अलावा गढ़वाल मण्डल विकास निगम एवं कुमायूँ मण्डल विकास निगम के पर्यटक आवास गृहों द्वारा मांग किये जाने पर बार लाईसेन्स निर्गत किये जायेंगे। अनुज्ञापन से सम्बन्धित अन्य व्यवस्था एवं शर्तें वित्तीय वर्ष 2004–05 के अनुरूप यथावत रहेगी।

बड़े व्यवसायिक होटलों को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे होटलों एवं रेस्त्राओं को भी बार लाईसेन्स देने पर विचार किया जायेगा, यदि आवेदन किये जाने वाले वर्ष में आवेदन किये जाने की तिथि तक उनके होटल/रेस्त्राओं में पके हुए भोजन की बिकी रू0 5.50 लाख अथवा उससे अधिक हो।

17. **बियर बार लाईसेन्सः–**बियर बार लाईसेन्स स्वीकृत किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2004–05 की नीतियों का अनुकरण किया जायेगा। पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने की दृष्टि से उन होटल एवं रेस्त्राओं, जिनकी विगत वर्ष में पके हुए भोजन की बिकी 3.00 लाख रूपये (तीन लाख रूपये) वार्षिक या उससे अधिक रही हो उन्हे रू0 20,000/–(बीस हजार रूपये) प्रतिवर्ष की

दर से अनुज्ञापन शुल्क के आधार पर बियर बार लाईसेन्स स्वीकृत किया जायेगा। इस अनुज्ञापन के अन्तर्गत वह केवल बियर की बिक्री के पात्र होगें।

सीजनल पर्यटक स्थलों के लिये छः माह की अवधि के लिये भी लाईसेन्स दिये जा सकेगें एवं सीजनल बियर बार हेतु लाईसेन्स फीस, बियर बार हेतु निर्धारित लाईसेन्स फीस की आधी अर्थात रू0 10,000/–(दस हजार रूपये मात्र) होगी।

बड़े व्यवसायिक होटलों को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे होटलों एवं रेस्त्राओं को भी बियर बार लाईसेन्स देने पर विचार किया जायेगा, जिनके आवेदन किये जाने की तिथि तक उनके होटल/रेस्त्राओं में पके हुए भोजन की बिक्री रू0 3.00 लाख अथवा उससे अधिक हो।

18. **आसवनियों, बाटलिंग प्लान्ट, ब्रुअरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापनाः–** आसवनियों, बाटलिग प्लान्ट, ब्रुअरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था रखी जायेगीः–

(क) आसवनियों की स्थापना हेतु अनुज्ञापन देने पर विचार नहीं किया जायेगा।

(ख) बाटलिंग प्लान्ट लगाने के लिये पूर्व वर्ष की नीति के अनुरूप इस व्यवसाय में पूर्व से ही प्रतिष्ठित एवं ख्याति प्राप्त निर्माताओं से प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।

एफ0एल0.–3 ए लाईसेन्स के अन्तर्गत विदेशी मदिरा की बोतल भराई पर एफ0एल0एम0–3 के समान लाईसेन्स फीस संदेय होगी । इन लाईसेन्सो के अन्तर्गत भरी गयी विदेशी मदिरा की प्रत्येक बोतल/ अद्धा/ पव्वा पर क्रमशः

रू0 4.50/–, रू0, 2.25/– एवं रू0 1.15/– बाटलिंग फीस देय होगी। विदेशी मदिरा विनिर्माणशाला की स्थापना नियमावली, 1997 के अन्तर्गत मदिरा की बोतल भराई सीमा को बढ़ाने के लिये आबकारी आयुक्त शासन की पूर्वानुमति से इस नियमावली को संशोधित कर सकेंगे।

प्रदेश के बाहर निर्यात हेतु विदेशी मदिरा पैट (Polyethylene Tetra Phthalate) बोतलों में भरी जा सकेगी परन्तु अनुज्ञापी को इस सम्बन्ध में सक्षम संस्था का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि इन बोतलों में भरी गयी मदिरा मानव उपभोग हेतु सुरक्षित होगी।

(ग) ब्रुअरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना हेतु गत वित्तीय वर्ष के अनुरूप लाईसेन्स देने पर विचार किया जायेगा तथा वाईन किन धारिता की बोतलों में भरी जायेगी इसके निर्धारण हेतु आबकारी आयुक्त अधिकृत होंगे। ऐसे ख्याति प्राप्त जनरल मर्चेन्ट्स जिनका वार्षिक टर्नओवर वाणिज्य कर विभाग द्वारा कम से कम पांच लाख रूपये वार्षिक प्रमाणित हो, उन्हे पांच हजार रूपये वार्षिक लाईसेन्स फीस पर केवल उत्तरांचल में बनी वाईन बेचने हेतु

लाईसेन्स दिये जायेंगे। इसके अतिरिक्त उत्तराचंल में बनी ड्राफ्ट बियर की बिक्री की अनुमति बारों तथा कैन्टीनों में दी जायेगी।

19. **गैसोहोल/इथेनॉल प्लान्टः**—उत्तरांचल के शीरा डेफिसिट राज्य होने के कारण गैसोहोल/इथेनाल प्लान्ट स्थापित करने हेतु अनुमति नहीं दी जायेगी।

20. देशी एवं विदेशी मदिरा की बोतलों पर वर्तमान में होलोग्राम लगाये जाने की व्यवस्था यथावत रखी जायेगी। राजस्व सुरक्षा की दृष्टि से फुटकर दुकानों से बेची जाने वाली बियर की बोतलों पर भी सुरक्षा होलोग्राम लगाये जाने की व्यवस्था की जायेगी, परन्तु होलोग्राम के वर्तमान डिजाईन को बदल दिया जायेगा।

21. देशी मदिरा की शत प्रतिशत भराई वर्ष 2005–06 के अनुरूप कांच की नई बोतलों में ही की जायेगी। पॉली पाउचों तथा पैट बोतलों में भरी देशी मदिरा की बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा।

22. जनहित में देशी मदिरा की गुणवत्ता में सुधार हेतु भविष्य में देशी मदिरा का निर्माण केवल एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल (ई0एन0ए0) से ही कराया जायेगा। देशी मदिरा के वर्तमान आवंटन क्षेत्र को वर्ष 2005–06 के अनुरूप ही रखा जायेगा।

23. विदेशी मदिरा एवं बियर की पॉली पाउचों/प्लास्टिक की बोतलों में बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा। यह प्रतिबन्ध उत्तरांचल राज्य में स्थित सैन्य कैन्टीनों पर भी लागू रहेगा, परन्तु जिन प्रदेशों में पैट बोतलों में भरी विदेशी मदिरा की बिक्री अनुमन्य है उन प्रदेशों को निर्यात की जाने वाली विदेशी मदिरा पैट बोतलों में इस शर्त के साथ भरी जा सकेगी कि मदिरा निर्माता को सक्षम संस्था का प्रमाण– पत्र प्रस्तुत करना होगा कि इन बोतलों में भरी गयी मदिरा मानव उपभोग हेतु सुरक्षित होगी।

24. भांग के अनुज्ञापन में वर्ष 2002–03 की नीति यथावत रहेगी।

25. बार लाईसेन्सों की फीस में कोई बढ़ोत्तरी नहीं होगी।

26. वर्ष 2006–07 में केवल दिसम्बर व जनवरी माह में ही मदिरा की दुकानें प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक खोली जायेगी शेष अवधि में दुकानें प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक खोले जाने की अनुमति दी जायेगी।

27. फुटकर अनुज्ञापियों द्वारा वर्ष के प्रारम्भ में एडवान्स में जमा की गयी राशियों को वर्ष के अन्तिम माहो में अनुज्ञापी की देयता के विरूद्ध समायोजित कर लिये जाने की बाध्यता नियमों में रखी जायेगी।

28. अन्य व्यवस्थायें विगत वित्तीय वर्ष 2005–06 के अनुरूप यथावत रहेगी।

29. उपरोक्त नीति के कियान्वयन हेतु आबकारी आयुक्त द्वारा आवश्यकतानुसार शासन के अनुमोदन से संशोधित नियम उपबंधित किये जायेंगे।

लोक प्राधिकारी – आबकारी आयुक्त उत्तरांचल
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
मैनुअल संख्या 1 : संगठन की विशिष्टियां कृत्य और कर्तव्य

ए. आबकारी आयुक्त उत्तरांचल, देहरादून के कार्यालय का संगठन

आबकारी आयुक्त, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिनियम मान में एक वरिष्ठ अधिकारी है, के साथ दो अपर आबकारी आयुक्त सहायक के रूप में कार्य करते हैं। अपर आबकारी आयुक्तों में से एक आबकारी सेवा से है जो कि अपर आबकारी आयुक्त के रूप में पदनामित है, यह या तो एक वरिश्ठ पी0 सी0 एस0 अधिकारी होता है या एक आई0 ए0 एस0 अधिकारी को अपर आबकारी आयुक्त– (अनुज्ञापन एवं औद्योगिक विकास) के रूप में पदनामित किया जाता है । आबकारी आयुक्त के साथ दो संयुक्त आबकारी आयुक्त भी सहायक के रूप में कार्य करते हैं । इनमें से एक आबकारी इन्टैलिजैन्स ब्यूरो का प्रभारी होता है तथा दूसरा संयुक्त आबकारी आयुक्त मुख्यालय का । वर्तमान में अपर आबकारी आयुक्त (प्रशासन) के पद तथा एक संयुक्त आबकारी आयुक्त का पद रिक्त है। आबकारी आयुक्त का कार्यालय निम्न अनुभागों में विभाजित है, जिनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है :–

1. स्थापना एवं कार्मिक विभाग :–

यह अनुभाग उप आबकारी आयुक्त के अधीन कार्य करता है तथा एक सहायक आबकारी आयुक्त व आबकारी निरीक्षक उसके सहायक के रूप में कार्य करते हैं। यह राज्य के आबकारी कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण, तैनाती व स्थानान्तरण, प्रोन्नति, वेतन, भविष्य निधि, छुट्टी एवं पेंशन इत्यादि का कार्य देखता है। यह राज्य के आबकारी अधिष्ठानों की पदक्रम सूची तैयार करने व रखने तथा साथ ही विभाग के अधिकारी जो आबकारी आयुक्त के नियन्त्रण में कार्य करते हैं तथा उस स्टाफ के, जिसका नियुक्ति प्राधिकारी आबकारी आयुक्त है, की सेवा पंजी, व्यक्तिगत पत्रावली तथा चरित्र पंजी रखने के लिये भी उत्तरदायी है। निलंबन व विभागीय कार्यवाहियों से संबंधित मामले भी इसी अनुभाग द्वारा देखे जाते हैं । अपने उच्च अधिकारियों के आदेशों द्वारा व्यथित आबकारी कर्मियों द्वारा फाईल की गयी अपील व अभ्यावेदनों को भी इसी अनुभाग द्वारा देखा जाता है । खरीददारी, स्टोर्स व पुस्तकालय से संबंधित कार्य भी इसी अनुभाग को सौंपा गया है। वर्तमान में, स्टाफ की कमी के कारण सहायक आबकारी आयुक्त व आबकारी निरीक्षक के पद रिक्त हैं ।

2. ब्यूरो का आबकारी इन्टैलिजेन्स ब्यूरो स्टाफ व इसकी शक्तियाँ :–

आबकारी इन्टैलिजेन्स ब्यूरो, आबकारी आयुक्त के मुख्यालय पर एक संयुक्त आबकारी आयुक्त के अधीन कार्य करता है। संयुक्त आबकारी आयुक्त, आबकारी आयुक्त के निर्देशन व नियन्त्रण में कार्य करता है। उसको अपने कार्यपालक प्रशासकीय कार्यों में एक आबकारी उपायुक्त व एक आबकारी निरीक्षक सहायता करते हैं। ब्यूरो में तैनात अधिकारियों व आबकारी निरीक्षक का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण राज्य तक विस्तारित है तथा आबकारी विभाग द्वारा प्रशासित किसी भी अधिनियम के अधीन आबकारी

दुकानों के निरीक्षण, तलाशी, गिरफ्तारी, जांच पड़ताल के संबंध में वे क्रमशः संयुक्त आबकारी आयुक्त, आबकारी उपायुक्त, सहायक आबकारी आयुक्त व आबकारी निरीक्षक की शक्तियों का प्रयोग करते हैं । आबकारी निरीक्षक, ब्यूरो के कार्यालय का प्रभारी भी होता है जि पर अपने कार्य के साथ साथ, ब्यूरो पर तैनात सहायकों के कार्य के पर्यवेक्षण का भी प्रभार होता है ।

सहायक आबकारी आयुक्त प्रवर्तन, संयुक्त आबकारी आयुक्त/आबकारी इन्टैलीजेन्स ब्यूरो के निर्देशन व नियन्त्रण के अधीन कार्य करता है।

वर्तमान में स्टाफ की कमी के कारण सहायक आबकारी आयुक्त व आबकारी निरीक्षक पद रिक्त हैं ।

ब्यूरो के कृत्य

ब्यूरो के उद्देश्य में, राज्य के विभिन्न जनपदों व अन्य राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों व स्वयं एवं स्वापक इन्टैलिजैन्स ब्यूरो के मध्य आबकारी विभाग द्वारा प्रशासनिक कानूनों के विरूद्ध अपराधों व तस्करों से संबंधित आबकारी आंकड़ो व सूचना का संग्रह, समाकलन व प्रसारण सम्मिलित है। इस प्रयोजन हेतु अपराधिक इन्टैलिजैन्स गजट के साथ एक मासिक आबकारी परिशिश्ट का ब्यूरो द्वारा प्रकाशन व सभी संबंधित लोगों को इसकी आपूर्ति प्रस्तावित है ।

ब्यूरो पर मादक पदार्थों, अफीम व अन्य स्वापक औशधियों के अन्तर्राज्यीय थोक तस्करों को खोजने तथा महत्वपूर्ण मामलों का पता लगाने व जांच पड़ताल के उत्तरदायित्व का भी प्रभार है ।

अपराध से संबंधित सूचना व आंकड़ों के रखरखाव व प्रसारण के अतिरिक्त, यह ब्यूरो मादक पदार्थों की वैध खपत के रूझान पर लगातार नजर रखता है तथा इस प्रकार राज्य के प्रत्येक मद्य निवारक क्षेत्र में आबकारी राजस्व पर भी नजर रखता है। यह सरकार या आबकारी आयुक्त द्वारा आदेशित विभागीय कर्मचारियों के विरूद्ध शिकायतों की जांच की प्रगति पर भी नजर रखता है तथा इसके द्वारा आबकारी राजस्व में लीकेज के परिनिर्धारण हेतु कार्य कुशलता बढ़ाने के लिये व आबकारी प्रशासन चुस्त बनाने के लिये आबकारी आयुक्त द्वारा समय–समय पर किये गये विभिन्न उपायों को व्यवस्थित किया जाता है ।

3. अनुज्ञापन अनुभाग :–

यह अनुभाग आबकारी अनुज्ञप्तियों के व्यवस्थापन उनके निर्माण व उनकी संस्वीकृति को देखता है । इस अनुभाग का प्रभारी आबकारी उपायुक्त है जिसके सहायकों में एक सहायक आबकारी आयुक्त व आबकारी निरीक्षक है । इस अनुभाग का मुख्य कार्य आबकारी राजस्व में वृद्धि के उद्धेश्य से आबकारी दुकानों के वार्शिक व्यवस्थापन हेतु आबकारी नीति बनाना तथा राज्य सरकार के अनुमोदन से उसे लागू करना है। देशी मद्य व विदेशी मदिरा की खुदरा दुकानों का वार्शिक व्यवस्थापन आबकारी आयुक्त के निर्देश एवं नियन्त्रण के अधीन प्रत्येक वर्श किया जाता है। व्यवस्थापित की जाने वाली दुकानों की संख्या निर्धारित की जाती है । जिन दुकानों को अनावश्यक समझा जाता है उन्हें बन्द कर दिया जाता है तथा जहां इसकी आवश्यकता हो वहां नई दुकान खोली जाती है । वे परिस्थितियाँ, जिनके अधीन व्यवस्थापन किया जाना है उन्हें अन्तिम रूप दिया जाता है तथा संबंधित अधिकारियों

को विधिवत् सूचित किया जाता है । व्यवस्थापन की तिथि या तिथियाँ आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचित की जाती है। व्यवस्थापन पर कड़ी नजर रखी जाती है ताकि दुकानों का व्यवस्थापन नियमों के प्रावधानों के अनुरूप निश्पक्ष व उचित तरीके से हो सके । डिस्टिलरीज व अन्य व्यक्तियों को थोक लाइसेन्स जारी कर देशी मद्य व विदेशी मदिरा की थोक आपूर्ति हेतु भी व्यवस्था की जाती है । दूसरे राज्यों को मांग के निर्यात तथा मांग के निर्यात से अधिकतम राजस्व सुनिश्चित करने के लिये आवेदन ग्रहण किये जाते हैं । उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त यह अनुभाग अन्य विभिन्न अनुज्ञप्तियों जैसे विकृत मद्य, आसवनियों, मद्य निर्माण शालाओं, मदिरा निर्माणशालाओं (विन्टीनरीज) उत्पादक फैक्टरियों (बौटलिंग प्लान्ट्स) इत्यादि के निर्माण का कार्य देखता है ।

4. **अल्कोहॉल अनुभाग :–**

इस अनुभाग हेतु आबकारी उपायुक्त का एक पद संस्वीकृत है जो कि अल्कोहॉल के उत्पादन तथा शीरे का आबंटन तथा अल्होहॉल का वितरण देखने के लिये है । इस अनुभाग का समस्त पर्यवेक्षण आबकारी उपायुक्त (उत्पादन/वितरण) को सौंपा गया है । यह अनुभाग पीने योग्य तथा औद्योगिक उद्देश्य हेतु अल्कोहॉल के उत्पादन तथा वितरण पर नियन्त्रण रखता है। उत्पादन प्रभारी आबकारी उपायुक्त यह सुनिश्चित करता है कि शीरे भंडारण हेतु चीनी मिलें पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध करा रही हैं तथा शीरे की गुणवत्ता में कमी न आये इसके लिये सभी आवश्यक उपाय करता है । पूर्व में, यह अनुभाग मोटर स्पिरिट, डीजल आयल तथा अल्कोहॉल पर क्रय कर/बिक्री कर के संग्रह का भी कार्य देखता था किन्तु वर्श 2000–2001 से यह कार्य व्यापार कर विभाग को सौंप दिया गया है।

वर्तमान में, स्टाफ की कमी के कारण इस अनुभाग में सहायक आबकारी आयुक्त व आबकारी का पद रिक्त है ।

5. **तकनीकी अनुभाग :–**

यह अनुभाग संयुक्त आबकारी आयुक्त (मुख्यालय के अधीन कार्य करता है) जिसको इस कार्य में एक तकनीकी अधिकारी सहायता करता है। यह औशधीय और प्रसाधन निर्मितियाँ (उत्पादन–शुल्क) अधिनियम 1955 व उ0प्र0 स्वापक औशधि नियमावली–1986 तथा विकृत स्पिरिट व विशेश विकृत स्पिरिट को कब्जे में रखने हेतु उ0 प्र0 की अनुज्ञप्तियों के अधीन स्वीकृत अनुज्ञप्तियों के सम्बन्ध में तथा अन्य महत्वपूर्ण तकनीकी मामलों में आबकारी आयुक्त को सलाह देता है । इस अनुभाग का कार्य औशधीय वस्तुओं को सभी बन्धनकारी व अबन्धनकारी उत्पादनों, सभी अल्कोहॉल आधारित उद्योगों व डिस्टिलरीज पर तकनीकी नियन्त्रण रखना तथा जब जहां आवश्यक हो उनकी समस्याओं के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त को सलाह देना है ।

विभागीय प्रयोगशाला :–

आबकारी आयुक्त मुख्यालय में एक विभागीय प्रयोगशाला भी कार्यरत रहती है जिसमें शीरे, आर0 एस0, एस0डी0एस0, ई0 एन0 ए0 व देशी मद्य एवं विदेशी मदिरा, चीनी मिलों, डिस्टिलरीज व जिलों के निवारक स्टाफ द्वारा प्रेशित चासनी व अन्य सामग्री का परीक्षण किया जाता है। यह संयुक्त आबकारी आयुक्त मुख्यालय के नियन्त्रण में कार्य करती है जिसमें तकनीकी अधिकारी व अन्य स्टाफ सहायता करता है ।

वर्तमान में तकनीकी अधिकारी का पद रिक्त है ।

6. **विधिक अनुभागः—**

यह अनुभाग एक आबकारी उपायुक्त (अनुज्ञापन) के अधीन कार्य करता है । इस अनुभाग का कार्य माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय में फाईल की गयी समादेश याचिकाओं व अपीलों के विरोध हेतु प्रभावी पैरवी करना है। उ0 प्र0 सेवा न्यायाधिकरण में सेवा मामलों में विभाग में नियुक्त सरकारी कर्मचारियों द्वारा फाईल की गयी याचिकाओं का भी विभाग की ओर से लिखित ब्यान फाईल कर तथा पैरवी करके इस अनुभाग द्वारा विरोध किया जाता है । उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त यह अनुभाग विभिन्न जनपदों में विभाग से सम्बन्धित दीवानी मुकदमों में भी पैरवी करता है ।

7. **लेखा परीक्षा व लेखा अनुभाग :—**

लेखा परीक्षा व लेखा अनुभाग राज्य की वित्त व लेखा सेवा में वित्त अधिकारी के अधीन कार्य करता है । इस अनुभाग का उद्देश्य वित्तीय पुस्तिका वौल्यूम—1 भाग—1 बे अध्याय ग्टप्प्.। में समाविश्ट प्रावधानों के अनुरूप वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना व अन्य वित्तीय कार्यो का निशपादन करना है । यह अनुभाग महालेखाकार की रिपोर्ट में उठाई गयी आपत्तियों का निपटारा करता है तथा लोक लेखा समिति से सम्बन्धित मामलों में आवश्यक कार्यवाही करता है । यह बजट तैयार करता है, विभाग के आहरण और संवितरण अधिकारियों को बजट में प्रदान अनुदान उपलब्ध कराता है । यह आबकारी प्राप्तियों के संकलन, पुराने बकायों का परीक्षण करने, उनकी वसूली हेतु कार्यवाही करने तथा यदि वे पूर्ण रूप से अवसूलीय हैं तो उन्हें बट्टे खाते में डालने के लिये भी उत्तरदायी है ।

बी. आचंलिक, क्षेत्रीय व फील्ड अधिकारी

1. **आंचलिक कार्यालय :—**

वर्तमान में विभाग में कोइ आंचलिक या क्षेत्रीय/प्रभागीय पद स्वीकृत नही है ।

2. **क्षेत्रीय कार्यालय :—**

वर्तमान में, विभाग में स्वीकृत, सहायक आबकारी आयुक्त, प्रवर्तन के दो प्रभागीय पद हैं— एक गढ़वाल में व एक कुमाऊं में। प्रवर्तन स्टाफ का विवरण निम्नांकित है :—

सहायक आबकारी आयुक्त के अधीन गढ़वाल/कुमाऊं प्रत्येक में दो क्षेत्रीय प्रवर्तन दस्ते हैं। आबकारी उपराधों के निवारण व नियन्त्रण हेतु हरिद्वार व उधमसिंह नगर जिलों के लिये दो जनपदीय

प्रवर्तन दस्तों की स्थापना प्रस्तावित है। एक प्रवर्तन दस्ते में आबकारी निरीक्षक तथा आठ आबकारी हेड कान्सटेबल्स / कान्सटेबल्स का भी समावेश होता है। आबकारी अपराधों का पता लगाने के अतिरिक्त, दस्ते का सहायक आबकारी आयुक्त, उप/संयुक्त आबकारी आयुक्त, आबकारी इन्टैलिजैन्स ब्यूरों के निर्देशन व नियन्त्रण के अधीन आबकारी स्टाफ व आबकारी अनुज्ञप्तियों के विरूद्ध शिकायतों की जांच भी करवाता है ।

3. **फील्ड अधिकारी :–**

आबकारी आयुक्त के सामान्य नियन्त्रण व निर्देशन के अधीन एक जिले में आबकारी विभाग का प्रशासन जिले के कलक्टर के प्रभाराधीन होता है। सहायक आबकारी आयुक्त के पद का पूर्णकालिक विभागीय अधिकारी जिले के प्रभारी के रूप में तैनात किया जाता है जो कलक्टर के अधीनस्थ जिले के आबकारी प्रशासन हेतु उत्तरदायी होता है । वह आबकारी विधियों व नियमों के प्रवर्तन हेतु भी उत्तरदायी होता है । उसे आबकारी मामलों की जांच पड़ताल व अभियोजन का पर्यवेक्षण भी करना होता है। अनुज्ञापित विक्रेताओं पर प्रभावी नियन्त्रण रखने के लिये उससे आबकारी दुकानों, बन्धनकारी माल गोदामों, बन्धनकारी व अबन्धनकारी फार्मेसियों, चीनी के कारखानों, डिस्टिलरीज व ब्रुअरीज के निरीक्षण की अपेक्षा भी की जाती है। उनके कार्य के निरीक्षण द्वारा व अपने अधीन स्टाफ के कार्य की प्रगति पर निगाह रखता है । वे जनपदीय आबकारी कार्यालय का प्रभारी है तथा वहां तैनात लिपिकीय स्टाफ के कार्य हेतु व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है ।

एक जनपद आबकारी सर्किल में बंटा होता है । प्रत्येक सर्किल एक आबकारी निरीक्षक के अधीन होता है । आबकारी निरीक्षक, दुकानों के परिवेक्षण तथा आबकारी स्वापक व उन विभिन्न अपराधों जिनसें विभाग को निपटना होता है, के निवारण व अभियोजना हेतु तैनात किये जाते हैं । एक आबकारी निरीक्षक जिसे निवारक कार्य सौंपा गया है, उससे अपेक्षा की जाती है कि वह सभी आबकारी व्यवस्थाओं का बारिकी से अध्ययन करें तथा कानून के सभी संदिग्ध अपवचनों के परिमाण व स्वभाव की जांच पड़ताल करें। वह आबकारी राजस्व के संग्रह से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है किन्तु यह उसका कर्त्तव्य है कि वह मादक पदार्थों की बिक्री व राजस्व संग्रह पर नजर रखे तथा किन्ही आदेशों की उपेक्षा या बकायों में वृद्धि को कलक्टर व उसके सहायक आबकारी आयुक्त के संज्ञान में लाये। आबकारी निरीक्षक द्वारा पता लगाये गये अपराधों का निपटारा जिले के नियमित विधि न्यायालयों द्वारा किया जाता है। आबकारी निरीक्षक को उसके कार्य में प्रत्येक सर्किल में हेड कान्सटेबल / कान्सटेबल सहायता करते हैं ।

आबकारी निरीक्षक, लिपिकों व कान्सटेबल की सहायता से निम्नलिखित कार्य निश्पादन हेतु राज्य के विभिन्न जिलों में भी तैनात किये जाते हैं :–

1. **डिस्टिलरीज :–**

पीने योग्य, व्यवसायिक यो औद्योगिक अल्कोहॉल के उचित उत्पादन तथा नियमों के अनुरूप भण्डारन के मामले में किसी डिस्टिलरी का प्रभारी होने पर आबकारी निरीक्षक का यह कर्त्तव्य है कि वह

यह देखे कि जारी किये जाने से पहले सारी स्पिरिट पर उत्पादन कर का उचित रूप से भुगतान कर दिया गया है या बौंड के अधीन जारी होने वाले मामलों में यह देखे कि उदग्रहणीय कर की राशि बौंड द्वारा कवर कर ली गयी है। उसे यह भी देखना चाहिये कि निर्धारित लेखे को नियन्त्रित रखा जाये ।

2. **बंधित मालगोदाम :–**

किसी बंधनकारी मालगोदाम का प्रभारी होने पर आबकारी का पहला कर्त्तव्य यह देखना है कि जारी किये जाने से पहले सभी स्पिरिट्स व ड्रग्स पर (बंधनकारी फार्मेसी के मामलों में) कर सही कर का भुगतान कर दिया गया है । उसे स्पिरिट के मापन, भंडारण पर भी नियन्त्रण रखना चाहिये ताकि निर्धारित हिसाब उचित रूप से रखा जा सके तथा उसे सभी सावधानियाँ व उपाय तुरन्त प्रभावी करना चाहिये ।

3. **बंधनकारी कारखाने :–**

औशधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद–शुल्क) अधिनियम, 1955 तथा उसके अन्तर्गत निर्मित नियमों के अधीन आबकारी निरीक्षक, परिक्षेत्र से अल्कोहॉल समाविश्ट किसी औशधीय और प्रसाधन निर्मितियों तथा स्वापक ड्रग्स को बाहर निकाले जाने से पहले कर व अर्थदंड, यदि कोई हो, के सही संग्रह हेतु उत्तरदायी है । उससे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह यह सुनिश्चित करे कि जिससे निर्मितियों का निर्माण होना है उस सामग्री मे अल्कोहॉल मिलाई जाये ।

4. **ब्रुअरीज :–**

किसी ब्रुअरी का प्रभारी होने आबकारी निरीक्षक का पहला कर्त्तव्य यह देखना है कि जारी किये जाने से पहले बीयर पर सही कर का भुगतान कर दिया गया है तथा अनुबन्ध के अधीन जारी किये जाने के मामले में उद्ग्रहीत कर की राशि बौंड द्वारा कवर की जाये। उसे बीयर के मापन, भंडारण व जारी किये जाने पर नियन्त्रण रखना चाहिये व उत्पादन का पर्यवेक्षण भी करना चाहिये।

5. **बोतल भराई संयंत्रः–**

बोतल भराई शुल्क तथा आबकारी करों को जमा करने के पश्चात् भारत में निर्मित विदेशी मदिरा के उत्पादन, इसकी बोतल भराई व विक्रय के परिवेक्षण हेतु उ0 प्र0 कारखाना नियम 1997 के अधीन ऐसे संयंत्रों में भी आबकारी निरीक्षक तैनात किये जाते हैं ।

6. **जाँच चौकियाँ :–**

मादक पदार्थों, स्वापकों, शीरों व स्पिरिट्स के अवैध दुर्व्यापार तथा तस्करी को रोकने के लिये राज्य की अन्तर्राज्यीय सीमाओं पर 13 जाँच चौकियाँ स्वीकृत हैं । प्रत्येक जाँच चौकी पर अधीनस्थ स्टाफ के साथ एक आबकारी निरीक्षक तैनात किया जाता है ।

7. **सी एस डी डिपो :–**

ऐसे डिपो लाईसेन्स शुल्क व आबकारी कर का विधिवत् भुगतान करने के पश्चात् मिलिटरी यूनिट कैन्टीन्स को आपूर्ति व विक्रय हेतु आबकारी नियमों के अधीन लाइसेन्स्ड हैं।

8. निवारक सर्किल :–

ये आबकारी व स्वापक अपराधों का पता लगाने व अभियोजन हेतु तैनात किये जाते हैं ।

9. शक्कर कारखाने :–

शक्कर कारखानो में उत्पादित शीरे के भण्डारण व वितरण पर उचित परिवेक्षण हेतु तथा उ0 प्र0 शीरा नियन्त्रण अधिनियम, 1964 के प्रावधानों तथा उसके अधीन नियमों के प्रवर्तन हेतु इनमें आबकारी उप निरीक्षक तैनात किये जाते है।

विभाग का निम्नतम कर्मी हेड कान्सटेबल/कान्सटेबल है जो कि आबकारी निरीक्षक को डिस्टिलरीज, ब्रुअरीज, बंधित मालगोदामों, बंधित कारखानों में उसके कार्य के दौरान निवारक जाँच पड़ताल, अभियोजन तथा अन्य विविध कार्यों में सहायता करता है । किसी मामलें में आबकारी कानून का उल्लंघन पकड़ में आने पर आबकारी कानून के प्रावधानों के अधीन, आबकारी कान्सटेबल तलाशी लेने व गिरफ्तार करने में कार्यपालक कर्त्तव्य भी निभाता है ।

10. उत्तरांचल राज्य में निर्माण से पूर्व व उसके पश्चात् विभाग में समय–समय पर स्वीकृत पदों तथा कर्मचारियों का विवरण निम्नांकित है :–

आबकारी विभाग में स्वीकृत, कार्यरत/रिक्त पदों का विवरण,मुख्यालय एवं फील्ड स्तर पर

(दिनांक 30.04.2009 तक की स्थिति)

क0 सं0	पदनाम	वेतनमान	राज्य गठन के पश्चात कुल स्वीकृत पदों की संख्या	कुल कार्यरत पदों की संख्या (संवर्गवार)	कुल रिक्त पदों की संख्या (संवर्गवार)
क	ख	ग	घ	ड	च
1	आयुक्त	80000 नियत	01	01	–
2	अपर आयुक्त, प्रशासन	37400–67000	01	00	01
3	अपर आबकारी आयुक्त, विभागीय	37400–67000	01	–	01
4	संयुक्त आबकारी आयुक्त	15600–39100	02	01	01
5	उप आबकारी आयुक्त	15600–39100	04	03	01
6	सहायक आबकारी आयुक्त	15600–39100	23	13	10
7	वित्त एवं लेखाधिकारी	15600–39100	01	01	–
8	प्राविधिक अधिकारी	15600–39100	01	01 प्रतिनियुक्ति	–
9	वैयक्तिक सहायक	9300–34800	01	–	01
10	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1	9300–34800	01	–	01
11	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2	9300–34800	03	–	03
11	लेखाकार	9300–34800	01	–	01
12	वरिष्ठ सम्प्रेक्षक	9300–34800	01	–	01
13	आबकारी निरीक्षक	9300–34800	73	33	40
14	मुख्य सहायक	5200–20200	12	00	12
15	प्रवर सहायक	5200–20200	14	–	14
16	आशुलिपिक	5200–20200	04	01	03
17	सहायक लेखाकार	5200–20200	15		15
18	कनिष्ठ सम्प्रेक्षक	5200–20200	01	–	01
19	उप आबकारी निरीक्षक	5200–20200	42	36	06
20	कनिष्ठ सहायक	5200–20200	17	33	16(सरप्लस)
21	प्रधान आबकारी सिपाही	5200–20200	61	34	27

क0 सं0	पदनाम	वेतनमान	राज्य गठन के पश्चात कुल स्वीकृत पदों की संख्या	कुल कार्यरत पदों की संख्या (संवर्गवार)	कुल रिक्त पदों की संख्या (संवर्गवार)
क	ख	ग	घ	ङ	च
22	वाहन चालक	5200—20200	21	14	07
23	आबकारी सिपाही	5200—20200	190	69	121
24	आबकारी सिपाही, (भूतपूर्व सैनिक नियत वेतन पर)	(नियत वेतन) भू०सै०कल्याण नि० (उपनल) द्वारा निर्धारित	24	24	00
25	प्रयोगशाला सहायक	4400—7400	01	—	01
26	अनुसेवक	4400—7400	50	26	24
योग			**566**	**289**	**277**

(डी०वी०सिंह)
उप आबकारी आयुक्त, /
लोक सूचना अधिकारी,
कार्मिक एवं अधिष्ठान,
मुख्यालय, देहरादून।

मुख्यालय का वर्तमान ढॉचा

दिनांक 30.04.2009

आबकारी आयुक्त (आई०ए०एस०)

अपर आबकारी आयुक्त | अपर आबकारी आयुक्त

संयुक्त आबकारी आयुक्त,मुख्यालय

लाईसेंसिग अनुभाग — विधि अनुभाग
कार्मिक / अधिष्ठान — प्राविधिक अनुभाग — प्रयोगशाला अनुभाग
उत्पादन अनुभाग — वितरण अनुभाग (शीरा / अल्कोहल)
प्राविधिक अधिकारी
वरिष्ठ वित्त अधिकारी — लेखाकार, सहायक लेखाकार, वरिष्ठ सम्प्रेक्षक, कनिष्ठ सम्प्रेक्षक

1 उपायुक्त
2. स०आ०आ०
3. आ०नि०

1 उपायुक्त
2 स०आ०आ०
3 आ०नि०

1 उपायुक्त
2 स०आ०आ०
3 आ०नि०

संयुक्त आबकारी आयुक्त ई०आई०बी० / प्रवर्तन इकाईयां / जाचॅ चौकी

1.उपायुक्त
2.सहायक आबकारी आयुक्त
3.आबकारी निरीक्षक+ प्र०आ०सि० / आ०सिपाही

आबकारी अधिसूचना केन्द्र अनुभाग प्रवर्तन दल,जॉच चौकियां सांख्यिकी अनुभाग क०सहायक–1

राजपत्रित		अराजपत्रित	
पदनाम	स्वीकृत पद	पदनाम	स्वीकृत पद
1. आयुक्त	01	1. व्यक्तिक सहा०(अधीनस्थ)	01
2. अपर आयुक्त	02	2. आबकारी निरीक्षक	04
3. संयुक्त आबकारी आयुक्त	02	3. प्रशासनिक अधिकारी	01
4. उप आबकारी आयुक्त	04	ग्रेड–1	03
5. सहायक आबकारी आयुक्त	04	4. प्रशासनिक अधिकारी	01
6. वरिष्ठ वित्त अधिकारी	01	ग्रेड–2	02
7. प्राविधिक अधिकारी	01	5. लेखाकार	01
योग:–	15	6. सहायक लेखाकार	01
		7. वरिष्ठ सम्प्रेक्षक	04
		8. कनिष्ठ सम्प्रेक्षक	12
		9. आशुलिपिक	02
		10.मुख्य सहायक	06
		11.प्रधान आबकारी सिपाही	09
		12.आबकारी सिपाही	16
		13.वाहन चालक	63
		14. चतुर्थ श्रेणी	
		योग:–	

नोट:– वर्तमान में 03 उपायुक्त एवं 01 सहायक आबकारी आयुक्त हैं,जिन्हे निम्नानुसार कार्य आवंटित किया गया है:–

सर्व श्री:–

1. अनिल कुमार शर्मा,उपायुक्त	विधि / सूचना का अधिकार अधिनियम,स्टोर व परचेज तथा ई०आई०बी०
2. टी०पी०सिंह,उपायुक्त	शीरा उत्पादन एवं वितरण
3. डी०वी०सिंह,उपायुक्त	कार्मिक एवं अधिष्ठान
4. सतीश चन्द्र गुप्ता,सहा०आ०आयुक्त	लाईसेंस व एल्कोहल उत्पादन एवं वितरण

<u>दिनांक 30.04.2009 तक की स्थिति</u>

फील्ड स्तर पर आबकारी प्रशासन						
सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी (13)					सहायक आबकारी आयुक्त–6 (प्रभारी प्रवर्तन इकाई/चैक पोस्ट)	
आ०नि० अपराध निरोधक क्षेत्र (40)	आ०नि०, सी०एल०–2 एफ०एल०–2	आ०नि० सी०एस०डी० डिपो (1)	आ०नि० (आसवनी/बाटलिगं प्लान्ट) (4)			
आ०नि०,फार्मेसी/ औद्योगिक इकाई	आ० नि० बाण्डेड मैनुफैक्चरी (एल 1)	आ०नि० एफ०एल०–2 (2)	आ०नि० बी०डब्लू० एफ०एल०–2 (1)	उप आबकारी निरीक्षक चीनी मिलें (10)	आ०नि० प्रवर्तन (6)	आ०नि० चैक पोस्ट (6)

राजपत्रित/अराजपत्रित		
पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	
1. सहायक आबकारी आयुक्त	19	06 आबकारी निरीक्षकों को भारत सरकार द्वारा अंतिम आवंटन में उत्तर प्रदेश के लिए आवंटित किया गया है। परन्तु इनके द्वारा उत्तराखण्ड के मूल निवासी होनें के कारण उत्तराखण्ड राज्य में सेवा करनें हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत किया गया है,जो उत्तराखण्ड शासन स्तर पर विचाराधीन है।
2. आबकारी निरीक्षक	69	
3. उप आबकारी निरीक्षक	42	
4. सहायक लेखाकार	13	
5. प्रवर सहायक	14	
6. कनिष्ठ सहायक	17	
7. प्रधान आबकारी सिपाही	59	
8. आबकारी सिपाही	180	
9. आबकारी सिपाही,भू०पू०सैनिक	24	
10. वाहन चालक	12	
11. चतुर्थ श्रेणी	34	

उत्तरांचल शासन
आबकारी विभाग
संख्याः1061/एक–44(1)/2001, देहरादूनः 14 फरवरी, 2001
अधिसूचना

सा0प0नि0–003

तत्कालीन प्रभाव से उत्तरांचल राज्य के आबकारी विभाग जिसका मुख्यालय देहरादून में होगा की स्थापना तथा आबकारी विभाग के पुनर्गठन की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

विभाग की संरचना एवं पदों की संख्या संलग्न कर दी गयी है।

संलग्नकः यथोपरि

आज्ञा से

(सुभाष कुमार)
सचिव आबकारी
उत्तरांचल शासन